[Shri V. Narayana Samy]

while disposing of the land. Therefore I give four or five suggestions to the Ministry and the N. T. C. for disposing of the surplus land. Firstly, the land should be sold after careful survey. Secondly, the area required for possible expansion of the mills should be excluded and should not be disposed of by the mills. Thirdly, the land should be sold at the market price with the approval of the Revenue Department of the State Government concerned. Fourthly, the funds that would be raised by selling the land should be utilised only for the expansion of that particular mill or for reopening this mill. Fifthly, both the Houses, Lok Sabha and Rajya Sabha should be taken into confidence by the Government at the time when they start disposing of the land. With these words, I conclude. Thank you.

---

1. RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO JAMMU AND KASHMIR

2. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF ARMED FORCES (JAMMU AND KASHMIR) SPECIAL POWERS ORDINANCE, 1990

AND

3. THE ARMED FORCES (JAMMU & KASHMIR) SPECIAL POWERS BILL, 1990---*Contd.*

उपसभापति : रत्नाकर जी, कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया है बोलने का । जितना समय दिया था उससे... (**व्यवधान**)... एक सैंकंड, सकून से बैठिये । समय खत्म हो गया है । आपको काफी समय दिया गया था उस दिन बोलने के लिये । इसलिये आप खाली कन्क्लूड कर दीजिये, दो मिनट में ।... (**व्यवधान**) मेरे घर से थोड़ी आता है कि वे ज्यादा दे दें । हाउस का समय है । दो लोग, जो कांग्रेस की तरफ से बोले नहीं हैं वी०एम० पाटील साहब और रफीक आलम साहब, मैं चाहूंगी कि 5–5 मिनट उनको दूं । इसलिये रत्नाकर जी क्योंकि आप काफी बोल चुके हैं इसलिये आप बस कन्क्लूड कीजिये ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : मेडम, उस दिन का रिकार्ड देख लीजिये, इतना इन्टरप्शन हुआ कि मैं ज्यादा बोल ही नहीं सका ।

उपसभापति : आप ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि इंटरप्शन हो । आप सीधा बोलेंगे तो कोई इंटरप्शन करेगा ही नहीं आपको । ...(**व्यवधान**)... आप कोई ऐसी बात न कीजियेगा जिससे इन्टरप्शन हो । नहीं तो फिर मैं भी इंन्टरप्ट कर दूंगी ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मेडम आप थोड़ा ढंग से मुझे झिड़कियेगी ...

उपसभापति : मैं किसी को नहीं झिड़कती ।

It is only a reaction. It is never an action.

जैसा ऐक्शन होगा वैसा ही रिऐक्शन होगा । जब आप लोग भड़कते हैं तो मैं खाली पानी का छिड़काव करती हूं, पानी छिड़कती हूं ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : पानी बड़ा गर्म होता है, गुलाब जल का छिड़काव किया कीजिए ।

माननीय उपसभापति जी, मुझे आपने काश्मीर के संबंध में उस दिन के भाषण को आगे चालू करने का मौका दिया है इसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं मैं उस दिन कह रहा था कि पिछली सरकार पर आरोप पर आरोप लगाये जाते हैं लेकिन सन 1980 से 89 में 1988 और 89 का वर्ष टूरिज्म व्यवसाय की दृष्टि से काश्मीर के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा । यह सब हमारे नेताओं और तत्कालीन प्रधान मंत्री के सफल कार्यकलापों का परिणाम था कि 10 वर्षों में टूरिज्म के माध्यम से जितनी आर्थिक आय काश्मीरवासियों को 1988–89 में हुई उतनी कभी नहीं हुई । मैं

मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो टूरिज्म की आय घटी है, जो झील है वह वीरान हो चुकी है, सैलानियों से रहित हो चुकी है और फौजी लोग किनारों पर पहरा दे रहे हैं, उस स्थिति को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पुनः टूरिज्म व्यवसाय को काश्मीर में स्थापित करने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं । काश्मीर अपने सेब के लिए अपने केसर के लिए, अपने बादाम और अपने अखरोट तथा अपने पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए दुनियां में जाना माना जाता है । आने वाले सीज़न में इन उत्पादित चीजों की देश में भारी खपत होगी । सरकार क्या इन चीजों को पैदा करने वालों को सपोर्ट प्राइस दे करके उनका माल मंडियों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था करेगी ? रोज रोज काश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और विद्यार्थी अपने विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं । हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, उनके भविष्य के साथ पूरे काश्मीर में जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, खलवाड़ हो रहा है । उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है । विद्यार्थियों का वर्ष खराब न हो इसके लिए क्या सरकार उनको बिना परीक्षा के अगली श्रेणी में उत्तीर्ण करने का विचार रखती है ताकि उनका भविष्य खराब न हो और समय का व सही उपयोग कर सकें ।

महोदया, जो कल श्रीनगर में घटना हुई, वह अपने आप में शर्मनाक घटना है। वायुसेना के तीन अधिकारियों सहित 21 लोग मारे गये और 38 लोग घायल हो गये । उधर प्रशासन ने शहर के आबादी वाले इलाकों में कर्फ्यू के दौरान निगरानी रखने के लिए सेना बुला दी । वायुसेना कर्मियों में श्री माया राम, श्री बलदेव सिंह और श्री मनोज कुमार को पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों ने श्रीनगर बड़गांव मार्ग पर दो सितम्बर को कार्यालय जाते समय अपहरण कर लिया और सायंकाल 3 बजे भारत माता की रक्षा के लिए इन नौजवानों ने आतंकवादियों के समक्ष अपनी जान दे दी । मैं इस सदन के माध्यम से उनके सम्मान में इस सदन की भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत माता की धरती पर जो अपना खून बहाया है उससे आतंकवाद में कमी आयेगी। जिस तरह की स्थिति आज काश्मीर में व्याप्त है वह चिंता का विषय है । जगमोहन जी इस सदन के सदस्य हो गये हैं और उसके बाद जो गवर्नर बनाये गये हैं उनके हाथ से ला एण्ड आर्डर खिसक चुका है ...(समय की घंटी)

श्री उपसभापति : 4 मिनट हो गये हैं, बस 1 मिनट और बोल दीजिए ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : अभी 24 अगस्त को सफ़ाकादल में जम्मू काश्मीर बैंक की शाखा के एक वाहन से 4 सशस्त्र लोग ने 29 लाख रुपये की रकम लूट ली । वहां के जो हिंदू लोग जम्मू काश्मीर से लौटकर जयपुर, दिल्ली और अन्य जगहों पर फ़ैले हुए हैं उनमें से कुछ लोग कल मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप सदन में इस मामले को उठाइये कि हमारे जो घर हैं हमारी जो सम्पत्ति है जिसेको जलाया जा रहा है और प्रशासन जिसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है । अब इस पार या उस पार की लड़ाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो कश्मीर का है, हमें करनी होगी । (समय की घंटी) और केवल बातों से काम नहीं चलेगा ।...(व्यवधान)

उपसभापति : आपके पांच मिनट पूरे हो गये । आप कृपया बैठ जाइये ।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : मैं एक मिनट और चहता हूं और एक मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं चाहता हूं कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं, उन पर मंत्री महोदय ब्यौरेवार उत्तर दें ।

हमारे सदन के एक सदस्य सुकवि बेकल उत्साही ने कहा है कि—

जो फूलों से ज्यादा नाजुक हैं,
शमशीर की बातें करते हैं,
जो देखने में बेसूरत हैं,

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

तसवीर की बातें करते हैं,
नफ़रत जिन्हें मानवता से,
मातृभूमि की मिट्टी से, गद्दारे वतन हैं,
कैसे वह कश्मीर की बातें करते हैं ?

उपसभापति : बस, बस मैं आपको यहां पूरी पोइट्री पढ़ने नहीं दूंगी। बस, अब आप बैठ जाइये। आपने कश्मीर की अच्छी बात कर ली। बस आप बैठ जाइये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : वह भारत का अविभाज्य अंग है और वहां सेना डीमारेलाईज़ की जा रही है।..... **(व्यवधान)**

उपसभापति : बस, अब आप बैठ जाइये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे कदम उठाये जिससे वहां शांति, सुव्यवस्था आ सके और जो भारत के नागरिकों की अमूल्य धरोहर है, कश्मीर जो स्वर्ग से भी महान है, उस धरती को भारत का अभिन्न अंग हम रहने दें।..मैं **(व्यवधान)** और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि--

न समझोगे, तो मिट जाओगे ताजो-तख्त के मालिक,
तेरी बरबादियों के मशिरे हैं आसमानों में।

इकबाल ने जो कहा था, उसे मैं मंत्री महोदय को सुनाना चाहता हूं।

उपसभापति : वह तो आपने सुना दिया।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इस तरह की कार्यवाही कश्मीर में करें, जिससे भारत का अविभाज्य अंग कश्मीर रहे और भारत से अलग न हो पाये। धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : Madam Deputy Chairman, my party has been pleading for a pretty long time that the Government should take steps to bring about a political settlement of the problem of Kashmir. We believe that there has been an alienation of the people from those who are there to run the administration, on the one side, and on the other, alienation there has also been of the people of Kashmir from the Government of India. The reason is, there have been a number of mistakes. And mistakes have been committed in the past to get narrow political mileage.

The very reason that the National Conference aligned itself with the Congress(I) had alienated that organisation from the broad mass of the people because the National Conference had always acted as a buffer political force between the secessionists on the one hand and the country on the other. The alliance forged between the National Conference and the Congress (I) led the people to believe that the National Conference had surrendered its own political identity. That was historical mistake and because of that historical mistake, the subsequent mistakes started occurring.

Therefore, Madam, I believe that Indian statesmanship and the political leadership in the country should take care of the sensitive nature of the problem. Once that is taken into consideration, there is no reason to believe why the Government should not put more emphasis and stress on finding a political solution.

The second mistake was committed by this Government. After they came to power, they appointed as Governor of Kashmir a person who was looked upon by the people of that State as one har bouring inimical intentions. After this person, who had earlier also been the Governor of that State, assumed office, he relied more upon force, brutal force. I do not say that force is not to be used. But while using force, there has to be

caution. While using force, there has to be an intention of weaning away a larger portion of the people and isolating the hardcore. I think, this wisdom was not shown by the political leadership. Thirdly Madam, I believe that something is being spoken of in this country which also alienates the people. There is demand for abrogation of the special status of Kashmir, demand for abrogation of Minorities Commission, demand for the abrogation of certain other rights that the minorities of this country are enjoying. The demand is being made that it should be given a go-by. But this is having a cumulative effect. Therefore, the problem of Kashmir is only a cumulative by-product of the mistakes that had taken place one after another and we are paying the price for those mistakes. Therefore, if we have to rectify the mistakes, we will have to be more careful. And to be more careful, we must talk more of a political solution. Once again, I call upon the Government to show political wisdom, to rely less on force and more on political reconciliation. There has to be a process of political reconciliation. And to bring about a process of political reconciliation, it is essential that the political initiative the initiative to create some sort of understanding among the masses of Kashmir should be taken so that the trouble-makers, the secessionists, the people who have been trained get total alienated from the dominant consciousness of the people of that area. If that isolation is not brought about, then I suppose no policy is going to yield any results. And to bring about that isolation, it is necessary that we create some sort of understanding among them, we create a feeling that we are interested in bringing about a solution.

Therefore, Madam, I believe; Government should rely more on political initiative. Government should take steps immediately to hold elections. Government should seriously ensure that all complaints of excesses are looked into. I do not want even a single complaint of excesses not being looked into by Government. And people must feel that there is a process to which they can appeal to get at least a redressal. Therefore, it is essential that a sense of neutrality of the administration, a sense of neutrality of the people who are ruling that part of the country is created. And it is only by taking a number of steps that we can bring about a solution. Overnight solution is not possible.

Lastly, I believe that Kashmir is paradise of India. Let it not be the place of confrontation, or the burial ground of the wisdom of Indian statesmanship. Let us prove that the Indian statesmanship is more powerful than the strength of the guns that the Pakistanis are supply in some people of that region. Let this strength and power become more powerful than the strength of secession, than the strength of infiltrators, than the strength of the people in Pakistan who want India to disintegrate. Therefore, let the spirit of sanity survive. Let the spirit of confrontation go. And let the policy of reconciliation prevail. Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just two minutes are left. Mr. Patel, you can speak for five minutes.

श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : महोदया, गृह मंत्री जी से मैं इसलिए अपेक्षा करता हूं कि इस मामले को आप पहले वाली सरकार या इस सरकार की बात मन सोचिए, अगर हमें गलती हुई है या आपसे गलती हुई, आपकी सरकार से हुई है तो मान लीजिए । मानने में कोई बुराई नहीं है । लेकिन आपने और आपकी सरकार ने कोई गलती ही नहीं की है ऐसा मान कर चलेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा । काश्मीर में आपको क्या-क्या करना चाहिए मैं शार्ट में आपको बता देना चाहता हूं । पहले तो सैक्योरिटी फ़ोर्सेस हटा लीजिए । जो वहां सैक्योरिटी फ़ोर्सेस ने लोगों पर जुल्म किए

(श्री विठ्ठल भाई मोतीराम पटेल)

हैं उनकी आप तलाश कीजिए और अगर आपको लगे कि जो बात है उसमें कुछ तथ्य हैं तो आप वैसे लोगों को वहां से हटा लीजिए जो लोगों के साथ प्यार से काम करें, ऐसे अफ़सरों को वहां रखिए और वहां की जो पुलिस है, उनके ऊपर जिम्मेदारी रखो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सम्भालना आपका काम है और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो हम आपको रिस्पांसिबल बनाएंगे । ये सेक्युरिटी फ़ोर्सेस वाले तो वहां की पुलिस की भी उठक करवाते हैं । तो यह कोई अच्छी चीज नहीं कर रहे हैं।

दूसरे आपने वहां "टाडा" के अंदर किसी को एरेस्ट किया और फिर उन काश्मीरियों को आप तमिलनाडु क्या दूसरी जेल में भेज देते हैं । अब एक गरीब परिवार के लड़के को आपने पकड़ा तो उस गरीब परिवार के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वह तमिलनाडु जाकर अपने लड़के को मिल ले । एक और गलती आपने यह की है कि काश्मीर की अदालत खत्म कर दी । अब सिर्फ़ जम्मू की अदालत में केस चलेगा । अब एक काश्मीरी जो अनंतनाग या पहलगांव में रहता हो, उसके एक लड़के को पकड़ लिया तो उसकी डिफेंस के लिए जम्मू जाना पड़ेगा । श्रीनगर से जम्मू का रास्ता 12 घंटे का है बाई का और पहलगांव से श्रीनगर आ जाओ तो पांच घंटे और लगेंगे। आप जरा सोचिए कि अगर आपके किसी रिश्तेदार को पहलगांव से पकड़ा हो और आपको केस लड़ने के लिए जाना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी, कितना खर्च होगा । आखिर काश्मीरी लोग इतने पैसे वाले तो हैं नहीं अभी कि वे इतना पैसा खर्च कर सकें । मैं लोक सभा के चुनाव में दो-तीन बार काश्मीर गया हूं । हम ने कभी उनके मुंह से हिंदुस्तान के खिलाफ़ नहीं सुना । वे भारत के साथ खुश थे ।

मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आजाद काश्मीर में हमारे से भी बदतर हालत थी । वहां के लोग पाकिस्तान के कब्जे में खुश नहीं थे और आज भी वे लोग खुश नहीं हैं । मेरे दो-तीन जर्नालिस्टस दोस्त अभी पाकिस्तान होकर आए हैं । उन्होंने मुझे बताया है कि आजाद काश्मीर में भी लोग वर्तमान शासन से खुश नहीं हैं । लेकिन हमने वहां 8-10 महीने में जो हालत करदी है, इससे हमारे वहां जो काश्मीर वाले हैं, उनका हमारे ऊपर से श्रद्धा उठ गई है । वह इतने निराश हो गए हैं कि (**समय की घंटी**) उनको लगता है कि हमारी किस्मत अब इस देश के साथ ठीक नहीं रहेगी । ऐसा वह सोचकर आजादी की बात करते हैं।

आप जो टेररिस्टस की बात करते हैं, तो वहां के लोगों पर आप पूरा भरोसा कीजिए तो टेररिस्टस भी कुछ नहीं करेंगे । आपने तो वहां की पुलिस को भी निकम्मा कर दिया है । पूरा काश्मीर सेक्युरिटी फ़ोर्सस ने ले लिया है और वहां हिंदू सेक्युरिटी फ़ोर्सेस के अफ़सर खुले आम गाली देते हैं, सारे मुसलमानों को खत्म करो । यह नहीं चलेगा । इस तरह से आप किसी को नहीं जीत सकते । वहां हिंदुस्तान का विरोध नहीं था, आप हिंदुस्तान विरोधी बना रहे हैं । वहां एच.एम.टी. वर्कर्स कहते हैं कि हमें काम करने जाना है हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है । जो एच.एम.टी. के हिंदू आफिसर्स हैं, वह खुद कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा नहीं है, फैक्ट्री खोलदो, हम काम करने के लिए तैयार हैं । फिर भी आप फैक्ट्री नहीं खोलते हैं, तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं । जो वहां काम करने वाले लड़के-लड़कियां हैं या दूसरे आफिसर हैं, उनको तनख्वाह तो दे दीजिए । उनको बंद करने से पहले तनख्वाह देनी चाहिए । तो ये सब चार्जेज तो छोटे-मोटे कहेंगे, लेकिन उनको इनसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है । आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे ? और भी गुस्सा हो जाएंगे । इसलिए ये छोटे-छोटे बातें जो हैं उनको आप करैक्ट कीजिए (**समय की घंटी**)।

दूसरे, जो कम्युनल फोर्सेस हैं, इधर के या उधर के वे गलत अफवाहें फैलाते हैं । किसी ने कहा कि हिन्दू लड़की पर

वह किया । मुसलमान ने कहा कि मुसलमान लड़की को वह किया । बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होता है । सिर्फ तनाव फैलाने के लिए कम्युनल फासिस काम कर रहे हैं । उसकी भी आप तलाश कर लीजिए । यह जम्मू में ज्यादा चलता है कुछ भी नहीं होता है तो भी वहां रोज यहां-न-कहीं अफवाहें फैलायी जाती हैं । तो ऐसे लोग, जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, उनको भी आप पकड़िए, आप पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो लोग आपने वहां फोर्सेज करने के लिए भेजे हैं, वे भी मिले हुए हैं । तो आप कैसे करेंगे . नहीं कर पाएंगे । इसलिए इस पर भी आपको सोचना होगा ।

महोदया, जैसे मैं अदालत की कहूं। इसको भी आर्टिकुलेट कर देना चाहिए क्योंकि एक कश्मीर में रहने वाला, बिल्कुल बार्डर पर रहने वाला आदमी जम्मू कैसे आएगा । इसको तो आप कर ही दें, एक इंजक्टिव आर्डर से कर दें कि जो अधिकारी कश्मीर में थीं, वे फिर से फंक्शन करेंगे । अब आप गवर्नर साहब एप्वाइन्टमेंट करके कश्मीर की सेशन-अदालत, दूसरी अदालत का खत्म कर दें तो यह कोई सही तरीका नहीं है काम करने का। इसलिए आपसे विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इस संबंध में कुछ कीजिए । फिर जो आपने लोग पकड़े हुए हैं, उनके केसेज डिसाइड कीजिए और अगर वह लोग इन्वाल्व नहीं हैं तो उनको तमिलनाडु की जेल में बंद रखने का क्या फायदा है ? उनको आप जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। साथ ही वहां से सिक्यूरिटी फोर्सेज को भी हटा दीजिए, विशेषकर उन लोगों को, जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उनको तो हटा ही दीजिए और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट से इनकी जांच करवाइए कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है ? तभी जाकर आपको सही स्थिति का पता लगेगा, केवल यहां बैठकर आप वहां की स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे ।...(समय की घंटी)...

मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर अगर आप गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि समस्या ठीक होने की संभावना है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN The House is adjourned for lunch title 2—30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty six minutes past two of the clock, The Deputy Chairman in the Chair.

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : महोदया, आपके माध्यम से मैं अर्ज करता हूं कि आप सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी0 उपेन्द्र से कहिये कि कश्मीर के बारे में दूरदर्शन या रेडियो पर गलत समाचार न दें क्योंकि कश्मीर वाले भी दूरदर्शन के समाचार सुनते हैं और आकाशवाणी के समाचार भी सुनते हैं । उनके दिमाग में यह होगा कि कश्मीर के बारे में गलत समाचार दूरदर्शन व आकाशवाणी से दिये जाते हैं जिस पर से उनकी विश्वसनीयता उठ जायेगी । कल की बात है, कल रात हिंदी और अंग्रेजी बुलेटिन में कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने कोई सभा गांव में ली होगी, वह तो दोनों बुलेटिन में दिखाया लेकिन तीन आर्मी के अफिसर, एयरपोर्ट के अफिसर जो मारे गये और 20 अन्य घायल हुये उसके बारे में कोई समाचार नहीं दिया । अगर ऐसा होगा तो लोगों का भरोसा दूरदर्शन और आकाशवाणी से उठ जायेगा । वहां खदा से डरने वाले लोग हैं । अगर सही समाचार आप देंगे और कल आपने यह समाचार दिया होता तो खुद कश्मीर के लोग कहते कि बहुत बुरा हुआ है, वह यह नहीं कहते कि अच्छा हुआ है । इसलिये आप प्रसारण मंत्री जी से कहिये कि कश्मीर के बारे में समाचार देने में ख्याल रखें अन्यथा उन लोगों का यहां के लोगों पर से भरोसा उठ जायेगा । मैं सुबह उठा तो मैंने समाचार पत्र के पहले पृष्ठ पर देखा कि कश्मीर में कल इतना बड़ा हंगामा हुआ और दूरदर्शन ने उसका कोई समाचार ही नहीं दिया और आकाशवाणी ने भी नहीं दिया । यह ठीक

[श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल]

नहीं है, आप उसको करेक्ट करिये और उपेन्द्र जी को बोलिये कि ऐसा कुछ करेंगे । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I would humbly request every Member to be very, very brief. Prof. Sourendra Bhattacharjee.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Not to me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All of you. I thought you are a Member of this House.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE : Anyway, Madam, Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity. To me, Kashmir seems to bea problem which perhaps is more or less out of grasp of everybody. When the problem started, I was quite young and I was in twenties. Now in sixties the problem is no nearer to the solution to me. Really it is very difficult to win Kashmir against the Kashmiris even by the Kashmiri Home Minister. The Kashmiri Prime Minister could not do it in 1947 and thereafter I do not know how the Kashmiri Home Minister will bring back normalcy. The question of Pakistan is no doubt important. We will have to fight that. But the point is that it is easier to fight straightway a foreign invasion but when it is against your own people, the problem is really insurmountable and it is not just law and order problem. But the fact remains, during these long periods, most of the time, it has been treated as just a law and order problem or both Punjab and Kashmir were considered fertile ground for political manipulations. The latest phase in Kashmirs turbulent history is an outcome of opportunistic political manipulations which materialised through the National Conference and Congress (I) alliance. It was from that time onward that the National Conference lost its credibility with the people of Kashmir. The Congress (I) had nothing and this combination has proved disastrous. But when you say that, that will not help the existing poloitical conditions. A change has occurred. A Government has come into office. That Government is nine months old. During these nine months period, it has almost been a catalogue of daily deaths, either 18 or 10 or 6. It goes on. (*Interruptions*).

Mr. Hanumanthappa may be more conversant with that aspect.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anyway, it is not premature.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: But anyway, the question is that Kashmir is practically in the hands of the armed forces and there are allegations that the worst type of atrocities have been committed by a section of jawans, officers and others. There is no reason to suppose that the police is capable of committing atrocities, the army is not. We have heard of it in Sri Lanka against the Tamils and now it is being heard in Kashmir against the Kashmiris. I put the question here regarding the report of Independent Initiative. The reply given by the Home Ministry was "Which independent initiative has been meant is not clear. However, reports like these have not come across the Government" or things like that. Now in course of this discussion, it was reported that the present Governor, Mr. Saxena, had occasion to take action in twelve cases. That shows the existence of this thing and it must be remembered that Kashmir is a very sensitive place and if it is not dealt with cautiously, with sympathy, what will happen is the further alienation of Kashmir problem. It is a fruit of our partition. The division of the country ordinarily is its basis and after that, integration of the States, it did not follow the rational principle. India did not accept in her own respect the religious basis and it remained a secular State. But the acceptance of the communal division in 1947 is taking its toll even now.

That reality has to be faced. It is not a question of Hindus of Jammu or Muslims of Kashmir or Bhuddists of Ladakh. It is a question of Kashmir of J & K as a whole . It is a part of India, no doubt. But if one part is part of J & K, that also cannot be forgotten. Given this reality , if you want to mobilise people on this side, they have to be treated with adequate respect for democratic principles and at the same time, by effecting a political configuration in Kashmir. Without that, however bold statements may be made, they are of no avail. The Home Minister made a statement on the day before yesterday. Kashmir has many grievances. Grievances won't be solved by statements. That fact has also to be recognised by not only the Home Minister but by the people of India as a whole. So, my submission would be this. Taking all these aspects into account, taking the Kashmiri people into confidence, a way to the solution of the Kashmir problem should be found out and that won't be found out in a battlefield against the people of Kashmir. Thank you, Madam.

SHRI JAGMOHAN (Nominated) Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I am not going to speak in detail. I will talk on only one aspect of it which I think will be of interest to both the sides and that pertains to the disinformation. I think the damage that the disinformation is causing is not being properly understood. To bring home my point, I will give you a few illustrations.

On 1st March 1990, a school bus carrying the army school children was attacked. The guards fired. It happended in the suburb of Srinagar. And there were casualties. As the Governor, I ordered the Corps Commander to inquire into the matter. The Corps Commander wrote in the inquiry report that the children were coming; in this manner they were attacked; the guards are always under order to protect and therefore, they resorted to firing; and the casualties were there. And the justified it. We issued a press note on the basis that.

After a few days came the so-called report. I do not want to take any name and raise a controversy as to who sent the report. They siad, 'We went to Srinagar". I mean, for a few days, they go there, meet some interested parties and they write, 'The army and the Governor's administration have spoken a lie. All the Schools in Srinagar were closed at that time. So the question of attacking any School bus does not arise. And this report was sent all over India. It was sent to countries abroad. It was broadcast from Radio Pakistan and their television speaking about the barbarous nature of the administration, quoting our report. One can understand that the terrorists have a technique of going for disinformation to demoralise the administration. But our own people go and give this report and it is quoted. And what is the evidence? 'We met some people'. From the 'New York Times' and 'Washington Post, people came to see me. The first question every body asked me was about this incident. Nobody went to the school to find out the truth. Nobody met any parent. Nobody met any teacher. Nobody met any defence personnel. Nobody came to the Governor and nobody took care even to see the documents. Examinations were going on those days. Civil schools were closed and army schools were open at that time.

And see what a damage was done in the international forum, Amnesty International and what not, on the basis of our report the evidence of which and the facts of which I have placed before the House. I will give you a second incident. I do not want to name., I only want you to understand. A weekly of Bombay says that Mr. Jagmohan in an interview with that weekly said that every Kashmiri Muslim was a militant. I was in Srinagar. I heard that there was a lot of noise in Parliament on this interview and a letter had been sent to the President saying that he had appointed a communal-minded person as the Kashmir Governor. I did not know which wekly it was. I could not check.

[Shri Jagmohan]

I came to Delhi to find out the name of the weekly. I tride and found out the name of the weekly. I had not given any interview to such a weekly at all. But then to be doubly sure, I rang up my personal staff and asked, "Did you give any time to anybody like that?", because in these days security is so tight that nobody could come to the Raj Bhavan without so many signatures being done, so much of identification being done; only then would you be permitted in. They said, "No, there is no such thing. And just imagine, the way they are projecting a man who is fighting a very grave and difficult battle as anti-Muslim without any basis and on the basis of concoction. I was left with no other option, but to give a legal notice. Two months have passed and the legal notice could not yet be served, because the editor is supposed to be abroad, sometimes he is not at home and we do not know who is going to follow up these things. But just imagine the damage that has been done. Then it is said that Mr. Jagmohan has thown out the Muslim officers. It is our own press and our own people--and I am not making any complaint against Pakistan and the terrorists--who are saying that he has thrown out all the Muslim officers. And what is the fact? Just imagine, the Adviser I appointed for dealing with law and order, for subversion and terrorism, Mr. Jamil Qureshi, was a Muslim; the man I appointed Chief Secretary, Law and Order, a new post, Shri Hamidulla Khan, was a Muslim; the Divisional Commissioner of Srinagar was a Muslim; the Deputy Commissioner of Srinagar was a Muslim; the DIG of Srinagar, Mr. Ali, was a Muslim and the Home Secretary was a Muslim. My own Deputy Secretary who had to deal with public hearings and public grievances--I used to hear hundreds of people and you must have seen the photographs--was a Muslim. For all matters connected with subversion and terrorism the officers appointed were Muslims and yet Mr. Jagmohan was quoted by our media as an anti-Muslim; If you want to solve the Kashmir problem in right earnest, kindly try to seek the correct facts. Then it is said that he set up a Kashmiri Pandit Information Centre. It is totally false, without any basis. What I had done was I had set up a sort of Information Centre, investigation centre. I combined all the agencies of the CBI, the IB, the BSFS, the CRPF, the local police and all these bodies, I made one group under my chairmanship and the moment the information came, we just went for raid and arrested a large number of people. You know very well the Rubiya case. At that time a large number of people were arrested in that connection. Lassa Koul's murder case was worked out and a large number of people were arrested in that connection. Then five IAF officers were murdered there, their culprits were found out and we arrested them. V.K. Ganjuls case was found out and we arrested the culprits. Mushrul Haq case was found out and action was taken. It is all these people, the arrested people who gave us the information on the entire network of subversion; whatever action was taken, it was taken on the basis of that information. Where did the Kashmiri Pandits come in? I am sorry, unless we face the reality, unless we face the truth in Kashmir, we are going to bungle, we are going to stumble from one blunder to another. And then it was pointed out that Mr. Jagmohan has gagged the press. I have been shouting, show me any notification under which I have gagged the press. The only point on which I took action was five criminal cases, against those who were publishing Pakistan Standard Time and who were giving their time weather reports and all our T. V. and radio programmes by Pakistan Standard Time. It was illegal. So I took action and I sent a complaint to the Court. A threat was published that within 24 hours all the Kashmiri Pandits should leave; otherwise they would be slaughtered.

Another publication was made in the newspapers that all non-Kashmiris

should leave within 48 years, otherwise their children would be kidnapped. When such a publication appears, the administration will have to take action. Any administration worth the name will have to take action. So my submission is, let us be very clear as to what is happening in Kashmir. If we compromise with evil, we are going to give encouragement only to evil and that evil is going to recoil on us, on the nation as a whole it is not going to recoil on Kashmir alone. (*time-bell*) There are many points to make but since you have rung the bell, I will not raise them. I have a constructive suggestion to make. I will not go beyond what you would permit me. I have given these five or six examples and I have twenty to thirty more. But I will not narrate them. I understand the limitation of time. The only question is how this can be tackled. It is no use making a complaint unless I can give you a concrete suggestion. The suggestion is in this very Bill, apart from what ever legal advice is available to you, you must make a tribunal, and anyone giving false information, publishing false information, about Kashmir, a complaint against that can be made to that independent tribunal. That tribunal should sit at some calm and quiet place where people can go and give evidence without any fear of being harmed. Even if it has to be held in camera, it should be done. After it is established--the type of examples that I have given you--that blatant lies have been spoken to mislead the nation, to demoralise the nation, then action should be taken. I am not suggesting any harsh action. The tribunal should publish their names in the newspapers with the request that no one should publish anything on their behalf. I wanted to speak a few words about the truth. I will only give one example. We have heard things from both sides. I will give you one instance of it. In fact, when I was sitting here, I was hearing both sides referring to me. On that I am reminded of a small couplet.

इधर बैहयोगमा कुछ कम नहीं है,
उधर मशरूक हैं मेरी निगाहें।

इधर बेहयोगमा कुछ कम नहीं है,
बड़ा मुश्किल है कश्मीर का सुलझना।

If you really want to solve the riddle to Kashmir, let us be very objective and truthful. I will give you one example. In 1988 Mahatma Gandhi's statue was to be put up in the High Court building. A new building had been constructed there. When Mahatma Gandhi was assassinated, the urn came by that side and it was announced that we would have a statue in that very area. When the High Court Building came up, it was announced that the Chief Justice of India was invited to unveil the statue I would not like to take the time of the House going into details. Some people came there and said, "We will not allow Mahatma Gandhi"s statue to be put up in Kashmir" .And the Government surrendered, everybody surrendered, to the noise about it. And who were the people who were leading this agitation that Mahatma Gandhi's statue would not be allowed to be put up. If I say where they are now, I will be raising a controversy and I will not raise a controversy. But you can find out who they are, the people who led the agitation, where they are now. If we are compromising with such fundamental Principles can you solve the Kashmir Problem? While the Religious Premises Act has been extended all over India, the place where religion is most misused, Kashmir, you have never extended it to that place. No one has asked why what is good for 15 crore Muslims of India is not good for 40 lakh Muslims of Kashmir. What are you doing? We should under stand that, if you really want to solve the problem. I do not want to take more time on this since you have already rung the bell. But I have along story to tell the house and I will take some other opportunity for that. Thank you

3.00 P.M.

श्री फ़ीफ आलम (बिहार) : मैडम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहली बार 4-5 मिनट में क्या बोलूं, मैं यह सोच रहा हूं।

मैडम, आप तो जानती ही हैं कि कश्मीर आज नफरत की आग में जल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे कश्मीर हो या पंजाब, तमिलनाडु हो या असम, हिन्दुस्तान के एक अटूट हिस्से हैं और दुनिया की कोई ताकत इन्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन, शर्त यह है कि हम वहां के लोगों को इसा की निगाहों से देखें और मुहब्बत की राहें अपनायें, नफरत की राहें नहीं। आज जो कुछ वहां पर हो रहा है वह सब नफरत की वजह से हो रहा है। आपने जो यह कानून सदन में पेश किया है इसमें बहुत ही स्वीपिंग पावर दी जा रही है। धारा 2 में है कि :

" 'armed forces' means the military forces and the air forces operating as land forces and includes any other armed forces of the Union so operating;"

बतलाइये, जब यह कानून कश्मीर के लोगों के पास जायेगा कि साहब अब पुलिस ही नहीं, मिलेट्री ही नहीं बल्कि अब एयर फतर्स भी बम बरसायेगी तो उसका नतीजा क्या होगा ? ठीक है टैरोरिस्टों के खिलाफ कदम उठाइये, सख्त से सख्त कदम उठाइये। लेकिन जो बेकसूर हैं, जो बेगुनाह हैं उन पर तो जुल्म मत ढाइये। लेकिन लगता है कि आज सोचने की ताकत पता नहीं कहां मफ्लुज हो गई है। इस पर मुझे एक शेर याद आता है :

"इन्कलाबात ने यूं नज्मे गुलिस्तां बदला है
फुल तो मुरझा गये हैं कांटों पर बहार आई।'

हर जगह लोग परेशान क्यों हैं। जिनको अपने देश से मुहब्बत है वह सब परेशान हैं। यह क्या हो रहा है ? आप जानते हैं कि हम फौजी ताकत के जरिये बगावत को तो कुचल सकते हैं लेकिन जजबात को दबा नहीं सकते। हिन्दुस्तान की तारीख गवाह है, हिन्दुस्तान का इतिहास साक्षी है कि बल के जरिये हम कोई सोल्युशन नहीं कर सकते हैं। इस हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों ने राज किया लेकिन महात्मा गांधी, एक निहत्थे और कमजोर आदमी ने उनको जब चैलज किया और आजादी का नारा दिया तो अंग्रेजों की तोपें, उनकी बंदूकें, उनका एयर फोर्स सब खत्म हो गया। इसलिये कश्मीर और पंजाब, हमें फख्र है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन वहां के लोगों के साथ हमें समझौता करना पड़ेगा, पोलिटिकल साल्युशन निकालना पड़ेगा। हम फौज के जरिये या पुलिस के जरिये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पंजाब को भी नहीं और कश्मीर को भी नहीं, यह हम समझ लेना चाहिये। वहां के जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल पीपुल हैं उनको इन सवालों पर एदमाद दिलाकर, भरोसा दिलाकर उन्हें हमें देश की मुख्य धारा में लाना है। यह बात साफ जाहिर है।

You can not rule without their participationin it.

और जम्हूरियत में असेम्बली जरूरी है। इसके लिये कश्मीर में चुनाव कराना पड़ेगा। जिस तरीके से भी हो वहां पर असेंबली का चुनाव कराके वहां के लोगों को मौका देना है कि वह वहां अमनो-अमन कायम करें। हम दिल्ली से बैठकर यह नहीं कर सकते हैं। इसमें स्वीपिंग पावर दी गई है। मैडम, धारा 4 में कहा गया है कि :

"Any commissioned Officer, warrant officer, non commissioned officer or any other person of equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area,

* * *

(c) arrest, without warrant any person who has committed a cognizable offence or against a reasonable suspicion exists that he has committed or is about to cognizable offence and may use such force as may be necessary to effect the arrest ;

(d) Enter and search, without warrant, any premises to make any such arrest as aforesaid or to recover any person believed to be wrong fully restrained or confined etc., less ete..."

और उसके बाद धारा 7 में है कि :

"No prosecution, suit or other legal proceeding shall be instituted, except with the previous sanction of the Central Government, against any person in respect of anything done or purported to be done in exercise of the powers conferred by this Act. "

अब हम इस तरह के कानून हम ला रहे हैं । हमने पंजाब में देखा है कि हम अटर फेल्योर हुए । फिर ये ही कानून हम काश्मीर में लादने जा रहे हैं तो फिर काश्मीर के लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देंगे कि आप तो हिन्दुस्तान का हिस्सा हैं, आप अपना राज संभालिए, और फिर काश्मीरियों ने हमारे साथ इल्हाक का फैसला किया था । जब पाकिस्तान के कबाइलियों और पाकिस्तानी फौज ने काश्मीर पर हमला किया तो तवारीख गवाह है कि हिंदू मुसलमान दोनों भाई काश्मीर में शाना बशाना लड़े । उसके बाद हमारी फौज पहुंची । उन्होंने सेक्युलर हिंदुस्तान का साथ दिया लेकिन अब क्या वजह है कि आज वे हमारे खिलाफ हैं । यह सोचने की बात है और मैडम आप जानती हैं There is no effect without any cause. मैं बहुत आदर के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र का नारा देकर हमको सिख भाइयों से अलग किया, काश्मीर के मुसलमान भाइयों से हमको अलग किया । आज एक तरफ तो हम लोग हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हम धर्म, भाषा, जाति-पाति और अपने मफाद के लिए हर तरह की बातें करते हैं जिससे मुल्क की अखंडता को नुकसान पहुंचता हैं । आज मस्जिद और मन्दिर की बात करते है । हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाइयों सभी ने भाई भाई का नारा देकर इस मुल्क के तिरंगे झंडे के तहत इस मुल्क को आजाद किया था । ये सब बातें उस वक्त कहां थीं । आज आजादी के बाद ये बातें क्यों पैदा हुई । महज चंद वोटों की खातिर हम भाई का गला काटते हैं । ठीक है हमारी पार्टी आज ताकत में नहीं है, उसका हमें कोई गम नहीं है । लेकिन मुल्क तो एक रहे । मुल्क के सोचने वाले तो सोचें कि आखिर हम लोग देश को कहां ले जा रहे हैं । ये बातें देश को कहां ले जाएगीं । क्या हिंदुस्तान की हुकूमत शाह जफर के मुताबिक जमुना तक ही रहेगी । आज मुल्क को बहुत बड़ी चुनौती है । आज हमारी आजादी खतरे में है, सालमियत खतरे में है और सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि हिंदुस्तान कैसे कमजोर हो । तवारीख गवाह है कि हिंदुस्तान पर जब भी बाहर का हमला हुआ उससे जितना नुकसान हुआ, उससे ज्यादा अपनों से हुआ बनिस्बत गैरों के और आज मुल्क को जितना नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं, धर्म के नाम पर मन्दिर मस्जिद के नाम पर उतना कोई दूसरा नहीं पहुचा रहा है । मैडम आप जानती हैं कि मैं एक साफगो आदमी हूं । एक भारतीय के नाते कह रहा हूं । गुजिश्ता हफ्ते पार्लियामेंट में गुलाब नबी आजाद साहब जो एक जिम्मेवार आदमी हैं उन्होंने कहा कि बाप के सामने बेटी के

[श्री रफीक आलम]

साथ और शौहर के सामने बीवी के साथ जनाबिल जब्र किया गया । बताइये कोई भी खुद्दार इन्सान कैसे बर्दाश्त करेगा । हम लोग क्या कर रहे हैं । अगर उन जवानों ने ऐसी हरकतें की तो मैं गुलाम नबी आजाद साहब से कहूंगा कि जो रिपोर्ट उनके पास है वह आप प्रधान मंत्री जी को दे दें । वे तहकीकात करायें । ऐसे जवानों को सजा मिलनी चाहिए इसलिए कि इस तरह की हरकत करके वे मुल्क को नुकसान पहुचा रहे हैं । अपने शरीर की हवस को तो पूरा कर रहे हैं लेकिन एट० ए० कास्ट आफ द होल नेशन । ऐसे लोगों को सख्त सजाए दी जाए और यह अधा कानून नाफिज न किया जाए अहलुवालिया जी का जो रिजोल्यूशन हाउस में है मैं इसका समर्थन करता हू फिर हम लोग एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखें । यह मुल्क बहुत मुश्किल से आजाद हुआ है । इसको हम फिर गुलाम न बनायें । इसके साथ मैं आपसे यह बात कहता हू कि सबको चाहिए कि मिलकर इस मुल्क को बनायें, मिल जुलकर इस मुल्क को बचायें । "शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में हैं, धरती वासियों की मुक्ति प्रीत में है ।"

†[شری رفیق عالم (بہار)]: میڈم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں جو آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا - پہلے بار چار پانچ منٹ میں کیا بولوں - میں یہ سوچ رہا ہوں -

میڈم آپ تو جانتی ہیں کہ کشمیر آج نفرت کی آگ میں جل رہا ہے - اسمیں کوئی دو رائے نہیں کہ چاہے کشمیر ہو یا پنجاب - تمل ناڈو ہو یا آسام - ہندوستان کے ایک اٹوٹ حصے ہیں - اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہم سے جدا نہیں کر سکتی - لیکن شرط یہ ہے کہ ہم وہاں کے لوگوں کو انصاف کی نگاہوں سے دیکھیں اور محبت کی راہیں اپنائیں نفرت کی راہیں نہیں - آج جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے وہ سب نفرت کی وجہ سے ہو رہا ہے - آپ نے جو یہ قانون سدن میں پیش کیا ہے اسمیں بہت ہی اسپیشنگ ورڈ دی جارہی ہیں - دھارا ۲ میں ہے کہ :

"Armed forces, means the military forces and the air forces sperating as land forces and includes any other armed forces of the Union so operating; "

یعنی جب یہ قانون کشمیر کے لوگوں کے پاس جائیگا کہ صاحب اب پولیس ہی نہیں ملٹری ہی نہیں بلکہ اب ایئر فورس بھی بم برسائیگی تو اسکا نتیجہ کیا ہوگا - ٹھیک ہے ٹیررسٹوں کے خلاف قدم اٹھائیے - سخت سے سخت قدم اٹھائیے - لیکن جو بےقصور ہیں - جو بےگناہ ہیں - ان پر تو ظلم مت ڈھایئے - لیکن لگتا ہے کہ آپ سوچنے کی طاقت کہاں پتہ نہیں مفلوج ہو گئی ہے - اس پر مجھے ایک شعر یاد آ

* Transliteration in Arabic Script.

دیش کی مدد سے دھارا میں لانا
یہ بات صاف ظاہر ہے -

You cannot rule without their participation in it.

اور جمہوریت میں اسمبلی ضروری ہے اسکے لئے کشمیر میں چناؤ کرانا پڑے گا - جس طریقے سے بھی ہو وہاں پر اسمبلی کا چناؤ کراکے وہاں کے لوگوں کو موقع دینا ہے کہ وہ وہاں امن وامان قائم کریں - ہم دلی سے بیٹھکر یہ نہیں کرسکتے ہیں اسمبلی اسوپنگ پاور دی گئی ہیں میڈم دھارا چار میں کہا گیا ہے کہ :

اور اسکے بعد دھارا سات میں ہے کہ :

اب اس طرح کے قانون ہم لارہے ہیں - ہم نے پنجاب میں دیکھ کہ ہم اٹر فیلیور ہوئے - پھر یہ ہی قانون ہم کشمیر میں لادنے جا رہے ہیں - تو پھر کشمیر کے لوگوں کو ہم یہ سوچنے کا موقع نہیں دینگے - کہ آپ تو ہندوستان کا حصہ ہیں - آپ اپنا راج سنبھالیے - اور پھر کشمیر نے ہمارے ساتھ الحاق

انقلابات نے یوں نظم گلستاں بدلا ہے-
پھول تو مرجھا گئے ہیں کانٹوں پر بہار آئی ہے-

ہر جگہہ لوگ پریشان کیوں ہیں- جن کو اپنے دیش سے محبت ہے وہ سب پریشان ہیں - یہ کیا ہو رہا ہے - آپ جانتے ہیں کہ ہم فوجی طاقت کے ذریعہ بغاوت کو تو کچل سکتے ہیں - لیکن جذبات کو دبا نہیں سکتے - ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے ہندوستان کا اتہاس ساکشی ہے - کہ بل ذریعہ ہم کوئی سولیشن نہیں کر سکتے ہیں اس ہندوستان پر انگریزوں نے راج کیا - لیکن مہاتما گاندھی - ایک نہتے اور کمزور آدمی نے انکو جب چیلنج کیا اور آزادی کا نعرہ دیا تو انگریزوں کی تربیت - انکی ٹیکنیکل انکا اٹر فورس سب ختم ہو گیا - اسلئے کشمیر اور پنجاب میں ہمیں فخر ہے یہ ہمارا حصہ ہے - لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے گا پولیٹیکل سولیوشن نکالنا پڑے گا - ہم فوج کے ذریعے یا ایولیس کے ذریعے یہ پولیس کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں - پنجاب کو بھی نہیں اور کشمیر کو بھی نہیں یہ ہمیں سمجھ لینا چاہئے - وہاں کے جو لوکل لیڈرس ہیں- جو لوگ پیپلس ہیں انکو ان سوالوں پر اعتماد دلاکر بھروسہ دلاکر انہیں ہمیں

[شری رفیق عالم]

دیش کو کہاں لے جا رہے ہیں - یہ
باتیں دیش کو کہاں لے جائیں گی-
کیا ہندوستان کی حکومت شاہ ظفر
کے مطابق صرف جمنا تک ہی
رہےگی - آج ملک کو بہت بڑی
چنوتی ہے - آج ہماری آزادی خطرے
میں ہے - سالمیت خطرے میں ہے-
اور ساری دنیا کی نگاہیں لگی
ہوئی ہیں - کہ ہندوستان کیسے
کمزور ہو - تاریخ گواہ ہے کہ
ہندوستان پر جب بھی باہر کا
حملہ ہوا ہے اس سے جتنا نقصان
ہوا - اس سے زیادہ نقصان اپنوں سے
ہوا - بنسبت غیروں کے - اور آج
ملک کو جتنا نقصان ہم لوگ
پہونچا رہے ہیں - دھرم کے نام پر -
مندر مسجد کے نام پر اتنا کوئی
دوسرا نہیں پہونچا رہا ہے - میڈم
آپ جانتی ہیں کہ میں ایک
صاف گو آدمی ہوں - یک بھارتیہ
کے ناطے کہہ رہا ہوں - گذشتہ ہفتہ
پارلیمنٹ میں غلام نبی آزاد صاحب
جو ایک ذمہدار آدمی ہیں -
انہوں نے کہا کہ باپ کے سامنے
بیٹی کے ساتھ اور شوہر کے سامنے
بیوی کے ساتھ زنا بلجبر کیا کیا -
بتائیے کوئی بھی خود دار انسان
کیسے برداشت کرےگا - ہم لوگ کیا
کر رہے ہیں - اگر ان جوانوں نے
ایسی حرکت کی ہے - تو میں
غلام نبی آزاد صاحب سے کہوں گا کہ
جو رپورٹ انکے پاس ہے وہ آپ
پردھان منتری جی کو دے دیں -
وہ تحقیقات کرائیں - ایسے جوانوں
کو سزا ملنی چاہئے اسلئے کہ اس
طرح کی حرکت کرکے وہ ملک کو
نقصان پہونچا رہے ہیں - اپنے شریر
کی ہوس کو تو وہ پورا کر رہے ہیں-
لیکن دیش کے کاسٹ آف ڈی نیشن-

کا فیصلہ کیا تھا - سب پاکستان
کے قبائلیوں اور پاکستان کی فوج نے
کشمیر پر حملہ کیا تو تاریخ گواہ ہے
کے ہندو مسلمان دونوں بھائی کشمیر
میں شانہ بشانہ لڑے - اسکے بعد
ہماری فوج پہونچی - انہوں نے
سیکولر ہندوستان کا ساتھ دیا لیکن
اب کیا وجہہ ہے کہ آج وہ ہمارے
خلاف ہیں - یہ سوچنے کی بات
ہے اور میڈم آپ جانتی ہیں

There is no effect without any cause.

میں بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں
کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندو راشٹر
کا نعرہ دیکر ہم کو سکھ بھائیوں سے
الگ کیا - کشمیر میں مسلمان
بھائیوں سے الگ کیا - آج
ایک طرف تو ہم ہندوستان کی
ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں-
دوسری طرف ہم ہندوستان میں
دھرم - بھاشا - ذات پات اور اپنے
مناہ کیائے ہر طرح کی باتیں کرتے
ہیں - جس سے ملک کی اکھنڈتا
کو نقصان پہونچتا ہے - آج مسجد
اور مندر کی بات کرتے ہیں - ہندو
مسلمان سکھ عیسائیوں سبھی نے
بھائی بھائی کا نعرہ دیکر اس ملک
کو ترنگے جھنڈے کے تحت آزاد کرایا
تھا - یہ سب باتیں اس وقت
کہاں تھیں - آج آزادی کے بعد یہ
باتیں کہاں پیدا ہیں- محض چند
ووٹوں کی خاطر ہم بھائی کا گلا
کاٹتے ہیں - ٹھیک ہے ہماری پارٹی
آج طاقت میں نہیں ہے - اسکا
ہمیں کوئی غم نہیں تھا - لیکن
ملک تو ایک رہے - ملک کے سوچنے
والے تو سوچیں کہ آخر ہم لوگ

ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی جائیں اور یہ ازدھا قانون نافذ نہ کیا جائے - اٹھوواليا جی نے جو ریزولیوشن ہاؤس میں رکھی میں اسکا سمرتھن کرتا ہوں - پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں - یہ ملک بہت مشکل سے آزاد ہوا ہے - اسکو ہم پھر غلام نہ بنائیں - اسکے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں چاہئیے کہ مل جل کر اس ملک کو بنائیں - مل جل کر اس ملک کو بچائیں - شکتی ہی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے دھرتی کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے -

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have no other names of speakers. I will call Mr. Ahluwalia, the Mover of the Resolution, to reply. But I would request him to be very brief. Mr. Ahluwalia, you have already taken more than an hour while moving the Resolution. So, please take 10 minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : महोदया, जो रेजोल्यूशन मैंने मूव किया है, उस पर सदन में सदस्यों ने पांच घंटे की बहस चलाई । तो मुझको जवाब देने का थोड़ा मौका..... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN : It was altogether. We have lot of other things also and not only your Resolution.

SHRI S. S. AHLUWALIA : But it is a very important matter.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I know it is very important.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Some of the Members of the Treasury Benches have blamed me saying that I am making false allegations against the Jawans. So, I have to clarify my position. I have to tell the House about my arguments and about my logic against this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN : But there is a limitation of time. The total time allotted for the whole business was four hours. We had taken five hours and six minutes earlier and today we took about an hour. So, I would request you to reply in 10 minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : दस मिनट्स में तो....

उपसभापति : आप शुरू तो कीजिए । दस मिनट में ही खत्म कीजिए । We have very heavy business.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैंने जिस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर के इन हालातों की सारी चीज आपके सामने और सदन के सामने रखी है, उस रिपोर्ट को लिखने वाली प्रोमिला लूईसी, जो जर्नलिस्ट हैं, नंदिता हक्सर, एडवोकेट, सुहासिनी मुले, फ़िल्म मेकर और सकीना हसन, फ़ार्मर प्रिन्सिपल, नवाकडाल विमंस कालेज, श्रीनगर, हैं । इन्होंने जो अपनी करीब अस्सी पेज की रिपोर्ट में जो कुछ दिया है, जो हालात काश्मीर में हैं और जो कुछ वहां के लोगों के साथ बर्ताव किया गया है, उसको जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, मैं आपको सच बयान करता हूं कि जिस दिन मैंने यह रिपोर्ट पढ़ी, तो मैं तीन रात सो नहीं सका था ।

मैं सो नहीं सका, उसका कारण क्या था कि मुझे लग रहा था कि मैं भी उस मुल्क का एक नागरिक हूं जहां पर वह वह शियत नाम का इस तरह जो नंगा नाच हो रहा है और मैं उसी हिंदुस्तान के सदन का सदस्य हूं और मुझमें यह आवाज नहीं है, जमीर सो चुका है या मर चुका है—मैं उस आवाज को उठा नहीं सक रहा हूं ।

यह रिपोर्ट पढ़कर मुझे बहुत ही दुख हुआ और अफ़सोस हुआ, जिसके कारण मैं यह डिसअप्रूवल का मोशन लेकर आया हूं ।

महोदया, जो लाठर साहब ने मुझे कहा कि इस तरह से जवानों के खिलाफ़ या

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

जवानों की वर्दी के खिलाफ़ आपको नहीं कुछ कहना चाहिए था, मैं उनसे सोलह आने सहमत हूं । मैंने जवानों को या जवानों की वर्दी पर कोई भी कलंक लगाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मैं क ऐसे परिवार से आता हूं जिसक पूरा परिवार ही आर्मी में रहा है । मेरे ाना, मेरे मामा, सेकण्ड वर्ल्ड वार से ही आर्मी में रहे और मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, मैं इंडियन मिलिटरी एकाडमी में सिलेक्ट हुआ था, पर मेरी मां ने इसलिए रोका क्योंकि उसने अपनी मां को रोते हुए देखा था, उनके पिता जी—हमारी मां के पिताजी और हमारी मां के भाई घर वापस नहीं हो सकते थे और जंगे-मैदान मे लड़ते-लड़ते वह लोग जेलों में बंद थे और मुझे रोक लिया था ।

मैं इन चीजों को समझता हूं । मैं इस पर कलंक लगा नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जिसकी कुर्बानियां हैं और जिसका क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहता हूं, पर यह कहता हूं कि मैं उन पर कलंक नहीं लगाना चाहता हूं, पर जो वाक्यात हुए हैं, उनको अस्वीकार भी नहीं कर सकता जो घटनायें घटी हैं, उससे दूर भी नहीं हट सकता । मैं यह पूरे आर्मी जवानों पर नहीं लगाता, पर कहीं-कहीं जहां टुकड़ियां हुई हैं, वहां एक्शन भी हुए हैं।

अगर यह बातें झूठ हैं, मैं या तो जैसा कि जगमोहन साहब ने अभी कहा कि साहब एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए—मेरे सामने एक अख़बार है और यह लिखता है कि—

"Terrorist - Police Nexus in Jammu and Kashmir."

तो इनको ट्रिब्यनल में बुलाइये कि यह क्यों भ्रमित करते हैं ? या तो कहिए कि यह सच है या कहिए कि झूठ है, तो इन पर एक्शन लिया जाए । यह पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से छाप-छाप करके बात की जाती है और या फिर यह जो रिपोर्ट है—इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव की इसको चेलेंज कर जिस तरह से विजय मोहन रेड्डी जी ने कहा कि साहब, अगर यह झूठ है—झूठ बात इन्होंने कही है, तो इनका कोर्ट मार्शल जरूर होना चाहिए । पर उसके पहले इंडीपेंडेंट इनीशिएटिव की रिपोर्ट आपने इन्क्वायरी कराई है, आपने देखा है, ? मैंने तो अपनी आवाज उठाई है । मैंने तो अपनी आवाज बहरी सरकार को सुनाने की कोशिश की है कि यह गलतियां हो रही हैं । आप उसमें क्या कह रहे हैं ? आप कहना चाहते हैं महोदया, बड़ा आश्चर्य लगता है अभी जगमोहन साहब कह रहे थे कि कहीं मुस्लिम और गैर-मुस्लिम अफ़सरों का सवाल आ गया था और इन्होंने बताया कि कुरैशी साहब को इन्होंने सैक्योरिटी एडवाइजर बनाया और एक नई पोस्ट क्रिएट की वहां पर भी एक मुसलमान आफ़िसर लगाया । मैं यह बात नहीं उठाता । अगर यह नहीं उठाते तो । महोदया मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या काश्मीर का मुस्लिम चीफ़ सेक्रेटरी नहीं हटाया गया था ? क्या यह झूठ है ? अगर झठ है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं । दूसरा क्या मुस्लिम डाइरेक्टर नजरल पुलिस रिप्लेस नहीं किया गया था ? क्या आठ इंस्पैक्टर जनरल आफ़ पुलिस में सिर्फ़ 8 इंस्पैक्टर जनरल आफ़ पुलिस जो लाए गए उसमें 6 नान-मुस्लिम थे और सिर्फ़ 2 मुस्लिम थे क्या इस तरह इसको चैंज नहीं किया गया था ? अगर किया गया था तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है ? आज हालत यह है कि वहां जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं आज हम ऐसे बिल क्यों ला रहे हैं ? वहां पर 900 officers, including 23 SPs and DSPs are reported to have either sought premature retirement or proceeded on long leave. क्यों क्या कारण है ? महोदया ऐसी रिजेरमेंट लोगों मे क्यों है मैं यह जानना चाहता हूं ? हमारा भारत सरकार का भरोसा क्या जम्मू-काश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से उठ गया है ? जम्मू-कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन पर हमें विश्वास नहीं रहा है । वहां की पुलिस हो चाहे आई०ए०एस० आफ़िसर हो चाहे आई०पी०एस० आफ़िसर हों या वहां का कांस्टेबल हो मुझे सूनने में आया है कि वहां के जो आफिसर्ज हैं उनको डिस-आर्म कर दिया गया है । उनके

हाथ में आर्म्ज एंड एम्युनिशन नहीं रहते हैं। क़ोई वी० आई० पी० अगर इमूवथेट होती है तो कोई भी कश्मीरी आफ़िसर के पास में उसका आर्म नहीं रखा जाता उसको डिसआर्म करके उसके हाथ में छड़ी पकड़ा दी गई है ? अगर यह है तो यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। महोदय, हम इस तरह का अविश्वास रख करके कभी भी काश्मीरियों का दिल नहीं जीत सकते काश्मीरी हिन्दुस्तानी हैं हिन्दुस्तानी थे और हिन्दुस्तानी रहेंगे पर हम जबर्दस्ती उन्हें पाकिस्तानी का ठप्पा लगा रहे हैं। इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए यह हमारी क़ोशिश है कि हम इस बिल की खिलाफ़त करते हैं। महोदया, 5 जुलाई को यह बिल लाया गया है आर्डिनेंस लाया गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 5 जुलाई क़ो हड़बड़ी में ऐसा यह आर्डिनेंस लाने क़ी क्या जरूरत थी ? पता नहीं शायद वहां क्या हो रहा था ? कैसी घटना घट रही थी ? पता नहीं, शायद पार्लियामेंट का सेंशन आने मे वहां बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ घटनाएं ऐसी हो जातीं और काश्मीर हिन्दुस्तान से निकल जाता ? ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसा सोच कर, ऐसा विचार कर, इन आर्डिनेंस को हड़बड़ी में पास किया गया जो कि 22 जून क़ो आलरोडी सम्मन इश्यू हो चुका था।

महोदया, मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ पेश करना चाहता हूं कि 14 जुलाई को एक हैलीकाप्टर गायब हो गया। उस हेलीकाप्टर में हमारे राजोरी डिवीज़न के मेजर जनरल सुदर्शन सिंह, जनरल आफ़िसर कमांडिंग, राजोरी डिवीजन के ब्रिगेडियर डी॰डब्लू॰सिंह, कर्नल आय॰डब्लू॰पी० सिंह और द अदर पायलट गायब हो गए। आश्चर्य की बात है, महोदया, अखबारों में, टी०वी० में और रेडियो में यह कहा गया कि यह रोटीन चैक पर वहां जा रहे थे। पर मेरी जो खबर कि उनका कमांडिंग आफ़िसर राजोरी डिवीज़न के एक यूनिट की हैंडबाल के मैच को देखने के लिए, उसको विटनैस करने के लिए जा रहा था। हैंडबाल मैच विटनेस करने के लिए जा रहे थे और उसमें हमारा नुकसान क्या हुआ ? राडार खराब होने के बावजूद उस हेलीकाप्टर से इन्होंने रिस्क ली सिर्फ़ हैंडबाल मैच देखने के लिए और उसमें जी०ओ०सी०, कमांडर और एक इंटेलीजेंस आफ़िसर—ये तीनों जा रहे थे। वह जहाज पीर पांचाल पहाड़ क्रास करने के बाद टकरा गया और गिर गया। इन्होंने राजोरी से टेक आफ़ किया था और पिंडीगची जाना था। पिंडीगली न पहुंचकर वीर पकेचाल जंगल पार करने के बाद यह जहाज गिर गया महोदया, अगर सिचुएशन इतनी सीरियस थी तो वहां हैंडबाल, बास्केटबाल और वालीबाल के मैच भी चल रहे हैं और इधर दिल्ली में आर्डिनेंस भी पास किए जा रहे हैं उन्हें पावर देने के लिए। आप आर्डिनेंस क्यों पास कर रहे हैं ? आप एक्स्ट्रीमिस्टस को रोकना चाहते हैं, उनके मूवमेंट को रोकना चाहते हैं। आप कहते हैं कि पहाड़ों से बर्फ़ गल रही है अब रास्ता खुल रहा है, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर हमारी आर्मी के पास पहले ही इतनी ताकतें हैं कि यदि कोई घुस-पैठिया घुस रहा है तो उसे रोकने के लिए (**समय की घंटी**) किसी से परमीशन लेने की जरूरत पड़ती है ? महोदया, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ़ एक वार्निंग देनी पड़ती है और वार्निंग का जवाब नहीं देता है तो उसका जवाब गोली होती है। महोदया, मैं पूछता हूं कि इतने ए० के० 47 इतने ए० के० 94 और इतने ग्रेनेड और इतने आर्म्स-एम्युनीशन क्या पैराट्रुप से आ रहे है या कोई जहाज में लादकर ले आता है। हमारी जो एक्चुअल लाइन आफ़ कंट्रोल है, उसके ऊपर हमारे जवान तैनात हैं। अगर कड़ाई करने की जरूरत है तो काश्मीर घाटी में जरूरत नहीं है। कड़ाई करने की जरूरत तो सरहदों में है। उन सरहदों में कड़ाई नहीं हो रही है। वहां घटनाएं तो घट रही हैं। हम जब दबाव डालते हैं सिविलियन पर; हम जब उन्हें तंग करते हैं, परेशान करते हैं तो इस तरह की घटनाएं जोकि इस रिपोर्ट में लिखी हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वह मानसिक रूप से सरकार का विरोधी हो जाता है। मानसिक रूप से सरकार के किसी कदम की सहायता

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

करता है ।.... (समय की घंटी) महोदया इन चीजों को सोचने की जरूरत है ।

उपसभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं यह भाषण नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं ।

उपसभापति : हां, अपना जवाब ही खत्म कर दीजिए क्योंकि आप भाषण तो एक घंटा दे चुके हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, यहां वचन बड़े दिए जाते हैं, बहुत एश्योरेंस दिए जाते हैं । मैंने इसके पहले भी 18 मई.... (व्यवधान)

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, आपकी इजाजत से मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं अपनी जानकारी के लिए । महोदया, मैं आपके माध्यम से श्री अहलुवालिया जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या पंजाब में भी इसी तरह का कानून लाया गया था ? अगर लाया गया है तो कब लाया गया था ? क्या उस कानून के रहते वहां पर अफ़सरों के खिलाफ़, जवानों के खिलाफ शिकायतें हुई हैं ? अगर हुई तो क्या कोई कार्यवाही की गयी ? जैसी कि कार्यवाही, अभी सुनने में आई है, काश्मीर में गवर्नर ने की, क्या इस तरह की कोई कार्यवाही पंजाब में भी की गयी या नहीं ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं अगर बूटा सिंह होता तो इसका जवाब जरूर देता । पर मेरा नाम सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया है । मैं कभी गृह मंत्री नहीं रहा हूं । मुझे इन चीजों का पता नहीं और जायसवाल जी शायद आप इस सदन में उस दिन उपस्थित नहीं थे जिस दिन मैंने आपके प्रधान मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के एक भाषण को कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि; "ज्यादा गन पाउडर, ज्यादा बैनेट और ज्यादा बुलेट देकर बदरहुड नहीं लाया जा सकता ।" यह उनका भाषण है, मेरा नहीं । मैंने उनके भाषण की बात कही है, उनके दिल के गुबारों की बात कही है। अगर आपको मौका लगे तो 14–15 मार्च, 1988 में 59वां एमेंडमेंट जो पंजाब के ऊपर था आप उसकी डिबेट पढ़ लेना । आपके मंत्री जी ने, आपके साथी जो बैठत हैं, आपके नेता ने क्या-क्या वक्तव्य रखे थे, उसको अगर आप पढ़ लें और उसके बाद अगर आप प्रश्न करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा ।

उसके बाद आप मुझसे ऐसा प्रश्न करें तो मैं जवाब जरूर दूंगा ।.... (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं कि मैं तो गृह मंत्री नहीं था ।

श्री वीरेन जे० शाह (महाराष्ट्र) : जैसी आपको जम्मू-कश्मीर की जानकारी है, पंजाब की भी होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं तो उन्हीं की तरह एक सदस्य था।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मैं खाली यह कहना चाहता था कि जिस तरह से आज भाषण हो रहे हैं, मेरी अपनी निजी राय है कि पंजाब और कश्मीर को पार्टी-बाजी में नहीं फसाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भाषण हो रहे हैं, उससे लगता है कि आप लोग बिल्कुल बदल गए हैं और जो कुछ पंजाब में हुआ या काश्मीर में हुआ, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं रहा । इसलिए मैंने यह सवाल किया ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : खैर, महोदया,.....

उपसभापति : अब आप कृपया बैठ जाइए । मुझे मंत्री जी को भी बुलाना है और चार बजे मुझे यह खत्म करना है। मंत्री जी भी आधा-पौना घंटा लेंगे ही । इसलिए आप कृपया बैठ जाइए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया; यह जम्मू-कश्मीर का मामला है

उपसभापति: मैं जानती हूं, जम्मू-कश्मीर का मामला है । लेकिन मंत्री जी को भी जवाब देना है । आप एक घंटा बोले, पांच घंटे दूसरे सदस्य बोले और अब आधा घंटा तो मंत्री जी को भी जवाब देने दीजिए, अब इतनी बातें कही गई हैं । कृपया बैठ जाइए । थैंक यू ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: नहीं, अगर आप नहीं बोलने देंगी तो मैं बैठ जाऊंगा ।

उपसभापति: देखिए, यह जुमला आपका,

I want to raise an objection that आप नहीं बोलने देंगी । आपका टाईम नहीं रहा, इसलिए मैं आपको नहीं बोलने देती । आप बैठ जाइए, आपका समय नहीं है । ...(**व्यवधान**)... मैंने आपको एक घंटा एलाऊ किया, वह आपका समय नहीं था, उसके बावजूद मैंने एलाऊ किया । ....(**व्यवधान**) आप बहस मत कीजिए । मैंने दो एक्सट्रा कांग्रेस के मेम्बर्स को एलाउ किया, जिनका टाईम खत्म हो गया था । इसलिए आप यह आइंदा एलीगेशन लगाने से पहले सोच लीजिएगा ।

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए ।

उपसभापति: नहीं, खत्म हो गई आपकी बात । आपने जो मुझसे कहा कि मैं नहीं बोलने दूंगी तो अब मैं नहीं बोलने दूंगी । ...(**व्यवधान**)...मैंने कहा, आपको मैं नहीं बोलने दूंगी, आपका टाईम खत्म हो गया

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, मैंने यह मोशन मूव किया है और इस मोशन पर बहस हुई है । अब मेरा राईट है बनता उपका जवाब देना अगर आप नही करने देती तो मैं समझता हूं कि उनका भी राइट नहीं है जबाब देने का ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You have given your answer and you have taken enough time of the House.

SHRI S. S. AHLUWALIA : You are wrong in this. You are unnecessarily stretching my right...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have said that I have given you enough time.Do not arguc. You have spoken for more than one hour before. Over and above the party's time I have given so much time. So, please do not argue.

श्री सुरेद्रजीत सिंह अहलुवालिया: मेडम, अच्छा आप रूलिंग दें कि मोशन मूव करने वाले का राइट टू रेप्लाई और मोशन मूव करने का टाईम पार्टी के टाईम में होता है । आप लिखिए पहले ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have given you time to reply. You strated at 3.10 and now it is 3.25. In my opinion the time is sufficient for your reply. Please take your seat. (*Interruptions*).

SHRI S. S. AHLUWALIA : What is your ruling ? You give your ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You aske for my ruling and I have given my ruling.

SHRI VIREN J. SHAH : Can any hon. Member describe the Chair and directly say that you are wrong and repeat that you are wrong ? Is it within the parliamentary pr tice ? Is it an acceptable parliamentary practice?

THE DEPUTY CHAIRMAN : I think it is becoming so. Every day Members ask for a ruling and when I give a ruling....

SHRI S. S. AHLUWALIA: If there is no provision for the mover of the motion to reply, why are we moving the motion (*Interruptions*). I have got the right to reply, but you are not allowing me.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I can tell you that I have allowed you.

SHRI S. S. AHLUWALIA : You have not allowed me.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What is wrong with you ? I allowed you and please take your seat. I won't allow you.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Is there any time specifical for this? Where is it ? Show me.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, the time is specified and it is finished now.

SHRI VIREN J. SHAH : When you mentioned that it is becoming a practice it is a ruling that the Chair could be attacked and accused of being wrong. I would submit with the greatest respect to the Hon. House to please reconsider and do not make it a part of the proceeding that any Member can get up and tell the Chair that you are wrong. I think we should not allow this.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It has been happening in the House. You are an old Memer. You have been in this House before.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वीरेन शाह जी, आपको समझ में आए; तब बोलिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : May I inform Mr. Ahluwalia that the total time allotted by the Business Advisory Committee was 4 hours including your Resolution, reply and the reply of the Minister ? Now that time is exceeded five hours and more. So please take your seat.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I will be finishing within five minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If you withdraw all the allegations that you have made, then I will permit you. Otherwise I am not going to permit you.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Madam, I have no complaint against you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is no question of a complaint. You said many times, "You are wrong". Withdraw it and then I will allow you five minutes.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I withdraw it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now speak for five minutes and not more than that. No ten minutes. Only five minutes.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : पांच मिनट तो ऐसे ही खराब कर दिए आपने :

महोदया, मैंने इसके पहले भी 18 मई का एक वायरलैस मैसेज पढ़कर सुनाया था और इस सदन में होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था जिसमें वह मैसेज "बडस्गाम" की एक घटना के ऊपर था जहां लिखा था ,

This was a message to SP PCR Srinagar from I/c APCR Srinagar, No. 19/2823/APCR dated 18-5-90

इसमें लिखा हुआ था :

"During the intervening night of 17/18-5-90, bus No. 1371/F carrying 27 persons of a barat (marriage party) was stopped near Badsgam crossing about 2330 hours by a BSF patrolling party. The BSF opened indiscriminate firing upon the bus resulting in instant death of one Abdullah s/o Gani Malik r/o Lissar, serious injuries to the bridegroom besides eight others. Followed by this the bride and the bride-maid were gang-raped by the BSF. Bride was taken away by them and the bride-maid was left behind. Bus has been removed to DPL Anantan and 78 bullet hole marks".

महोदया, मंत्री महोदय ने एश्योरेंस दी थी कि इस पर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी करके हम बताएंगे, पर आज तक उस पर नीरव बैठे हुए हैं। महोदया, उस के बाद 6 अगस्त को: *BSF men now down thirteen.* 13 आदमी जो सो रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई और उन्हें मार डाला गया और उस पर DIG Kashmir Range, Mr. Razak Alam, who visited the spot after the incident last night told pressmen that a case of murder and arson has been registered against the Border Security Force. अगर ये सारी बातें झूठी हैं तो इन अखबारों के खिलाफ या इन अफसरों के खिलाफ, जो खुद ब्यान देते हैं, उनके खिलाफ क्या ऐक्शन होता है ?

महोदया, इसके पहले भी मैं इस सदन को कह चुका हूं कि ...(समय की घंटी) ...पांच मिनट नहीं हुए मैडम, इस सरकार की जो कोशिश है वह नाकाम है होती रही। 12 मार्च को आल पार्टी पैनल आन कश्मीर हुआ। उसमें जार्ज फर्नांडीज जी को कश्मीर अफेयर्स का इंचार्ज बनाया गया और उसमें सब पार्टियों के मम्बर्स लिए गए--

Shri Surendra Mohan of the National Front, Shri Ghulam Rasool Kar of Congress, Shri Kedar Nath Sahni of BJP, Shri Farooqi of CPI, Shri Saifuddin Choudhury of CPI (M) and Shri P.L. Handoo of the National Conference. पर दुर्भाग्य है कि 12 मार्च से लेकर 26 मई के अन्दर यह पैनल और मिनिस्टर इंचार्ज आन कश्मीर अफेयर्स सारे के सारे हटा दिए गए। रिजल्ट क्या हुआ ? रिजल्ट हुआ जीरो। और यही राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो खुद कहते हैं थे कहते हैं कह रहा हूं इसलिए कि उस दिन आपत्ति उठी थी, वे कहते हैं . . . (व्यवधान)....

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद अहलुवालिया जी।

उपसभापति : जो भी कहना है जल्दी कह दीजिए, एक मिनट रह गया है।

श्री हरकेन्द्र सिंह हसपाँत (पंजाब) : शुरू करेंगे उसके बाद एक मिनट।

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, I have to finish it today. No joke about it. It is a very serious discussion It cannot go on like this.

श्री सुरेन्द्र जीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, यह खुद कहते हैं कि मैंने यह प्लान किया और यह जो आपत्तियां रोज उठती हैं, मैं आज से शपथ लेता हूं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को कभी भी गलत नाम से संशोधित नहीं करूंगा। मैं उनको जब भी सम्बोधन करूंगा जरूर कहूंगा--इज्जत मआब, आली जनाब, हुजूर, फैज गंजूर, दान अकबालहू, सिकन्दर बख्त, प्रात स्मरणीय, मध्याह्न बन्दनीय, संध्या अर्चनीय, महामहिम, मर्यादा राजा पुष्प-तुल्याषु, श्री चरणेशु, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह मारीच।

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (UTTAR PRADESH): Point of order.... (*Interruptions*)

कम से कम उसको निकाल दीजिये--प्रात स्मरणीय . . . (व्यवधान)...

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab) : What is this nonsense?

....(*Interruptions*)....

THE DEPUTY CHAIRMAN : Have you finished your reply ? Your five minutes are over.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I am coming. One minute, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, I allowed you enough time, please.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : यह कह रहा हूं कि इतने दिन से . . . (व्यवधान) कभी कश्मीर का मिनिस्टर

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

बनाया जाता है, कभी हटाया जाता है, कभी पावर दिए जाते हैं और कभी वापिस लिए जाते हैं और कितने दिन कितनी पावर चाहिये वह एक साथ लिस्ट बनाकर दे दीजिए और उसके बाद . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : हम और आप क्या चाहते हैं ? कश्मीर में और कितनी हत्याएं करवायेंगे ? कश्मीर में कितने अत्याचार करवायेंगे ? आप पूछिए . . . . (**व्यवधान**) . . . .

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : उपसभापति महोदया, कश्मीर जैसे मामलों पर तमाम माननीय सदस्यों ने जितनी गंभीर राय दी है और मैं समझता हूं कि उतनी ही गंभीरता के साथ अपनी राय से भी जुड़े हुए हैं। यह सही है कि कश्मीर के ऊपर अगर कोई बहस चलती हो तो इसमें इस देश की आजादी से पहले के कश्मीर को जोड़ना पड़ेगा । अगर कोई भी मूल्यांकन कश्मीर की आज की घटना के बारे में हम करते हैं तो वह भी याद करना होगा कि इन कश्मीरियों ने किस तरह से अपना सीना अड़ा करके और जो एक नया देश बना था, जहां बड़े लुभावने सपने दिखाए जा रहे थे वहां ना जाकर अपनी सरहद की रक्षा की और इस देश के लिए गौरव स्थापित किया ।

उपसभापति महोदया, वह सही है कि 1947 का कश्मीर जिसने वार सहा । 1965 का और 1972 का जहां हिंदू और मुलमानों ने मिलकर के अपनी सरहद की रक्षा की और पाकिस्तानियों से जोरदार मुकाबला किया । हम तो आजादी के बाद पैदा हुए लोग हैं, इसलिए उसके बावजूद भी जितना कश्मीर को जानने का मौका मिला है, वह पुंछ और राजौरी का इलाका जहां जाने और देखने का मौका मिला है । लोगों ने कहा कि आज हमारे ऊपर जो लोग उंगली उठाते हैं कि हम पाकिस्तानी हो गए हैं तो वह खुद अपना मुंह आयने में जाकरके देख लें । हकीकत है, वहां के लोगों ने कहा कि हमने, जब जंग हुआ था अत्याचारियों को और पाकिस्तानियों को झेला है जब हमारे घर में आकर के हमारी बहू-बेटियों के साथ उनके इज्जत से खिलवाड़ करते थे । लेकिन आज का कश्मीर, जहां के अत्याचार के बारे में एक से एक कहानियां कही जा रही हैं, हकीकत है कि आज का कश्मीर वह देश का जो ताज था उसके ऊपर कहीं न कहीं धूल जम गयी है और इसका जिम्मेदार कौन होगा ? यह बहस का मुद्दा भले ही न बनें लेकिन जिसने अपने शासनकाल में जो गलतियां की हैं इस शासनकाल में वह गलतियां नहीं दोहराई जायें तो इसकी तरफ जो इशारा किया जाता है तो इसको हम बाकायदा खुले हृदय से स्वीकार करने को तैयार हैं लेकिन आज के जो हालात हुये हैं, कल जो घटना हुई है, उससे आंख मूंद लेने, बन्द कर लेने से भी काम नहीं चलेगा हमारे मित्र हैं अहलुवालिया जी, और जितनी गंभीरता से सवालों को उठाया और उतने ही हल्के ढंग से अपने सवालों को खत्म किया, यह मुझे अफसोस है, । उन्होंने अत्याचार के बारे में जो सवाल उठाये हैं उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जनता दल ने मैनिफैस्टो में क्यों नहीं था ? मैनिफैस्टो में सवाल अगर नहीं जोड़े जाते हैं तो उससे जो इस देश के हालात हैं उससे अगर कोई कहे कि हालात बदल गये थे और आज हालात खराब हो गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि मैनीफैस्टो में बहुत सारे सवाल जोड़े जाते हैं और उस सवाल को जोड़े जाने से ज्यादा जरूरी था कि कश्मीर की हालत क्या थी ?

कश्मीर की हालत इस सरकार के समय में नहीं बदली है । जिस सवाल पर लोग तोहमत लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वह . . . (**व्यवधान**)

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : The question is not of manifesto. That was never debated. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please don't interrupt. I think the Minister did not interrupt any Member who made any allegation. He has the right to reply

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि लोग इस सवाल पर नहीं बोले । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगर उन लोगों ने अगुवा नहीं किया होता तो शायद हिंदुस्तान के लोगों को पता नहीं चलता कि कश्मीर की हालत क्या है । उस घटना से कश्मीर की हालत का पता चला और आतंकवादियों ने जो अपनी योजना बनाई थी कि आहिस्ता-आहिस्ता कश्मीर को हिंदुस्तान की सरहद से तोड़कर बाहर ले जाएं, उसकी तरफ़ देश चौकन्ना हुआ और देश की 80 करोड़ जनता ने कश्मीर के साथ अपने को जोड़ने का काम किया जब कि पिछली सरकार के रेजिमा में आंख-मूंदकर कश्मीर की स्थिति पर परदा डाल दिया गया था और वहां के नेतृत्व के साथ इस तरह खिलवाड़ किया गया कि आज कश्मीर में कोई ऐसा नेता नहीं है : जिसके द्वारा वहां की जनता की भावनाओं को समाज के सामने लाया जा सके । उसी का नतीजा है कि हम आज पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत वहां पर सरकार का अधिपत्य, सरकार की ऐथोरिटी को कम करना चाहते हैं ।

उपसभापति महोदया, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि दो-तीन गवर्नर जो वहां रहे उन्होंने हम से अपनी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर आज के दिन कश्मीर के बारे में फ़ैसला नहीं लिया गया तो कल का दिन बहुत लेट हो जाएगा । यह उन्होंने अप्रैल में कहा था और इस सरकार को तमाम हालतों से अवगत कराया था । उसके बाद लगातार सरकार को तमाम घटनाओं की रिपोर्ट मिलती रही है लेकिन आज जो वहां पर दो-तीन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जो चर्चा हुई है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मिलिटेंट्स का जो तरीका रहा है तथा बी०बी०सी० के सामने उन्हें बनावटी तरीके से पेश किया गया कि महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं । माननीय सदस्य अहलुवालिया जी ने जो कहा है कि घटना हुई है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सिलसिले में 5 लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही हुई है । 32 ऐसे केस सिक्योरिटी पर्सनल के खिलाफ़ रजिस्टर किए गए हैं और कोर्ट मार्शल आदि प्रोसीडिंग्स उन पर की जा रही हैं और दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है । इस प्रकार के जो भी केसेज हुए हैं सरकार ने अविलंब उनको रजिस्टर किया है और कार्यवाही कर रही है । महोदया, हम किसी चीज पर परदा नहीं डालना चाहते हैं । कोई सिक्योरिटी पर्सनल अगर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करता है तो उसको नहीं बख्शा जाएगा लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई गुलाम नबी आज़ाद, जो संसद में काफ़ी दिनों से हैं, उन्होंने कहा कि सैंकड़ों आर्मी के जवानों ने इन घटनाओं में हिस्सा लिया । यह शर्म की बात है । ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं कि उन्हें सैंकड़ों की तादाद में गिना जाए । अगर एकाध कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो उससे इस देश की फ़ौज पर कलंक लगाना या उन पर अंगुली उठाना और यह कह देना कि वहां हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत गैर-जिम्मेदाराना बात होगी ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज वहां की जो हालत है वह खराब है लेकिन आज अगर पाकिस्तान के साथ वार नहीं हो रहा है तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि हम श्रीनगर में सेमी-वार लड़ रहे हैं और उससे मुकाबला कर रहे हैं । आतंकवादी लोग शहरी इलाकों में घुसकर पुलिस पर्सनल पर फ़ॉयर करते हैं । अगर पुलिस पर्सनल जवाब में फ़ॉयरिंग करता है तो एक इनोसेंट मारा जाता है और उससे पूरा शहर बाहर निकल आता है । यह आतंकवादियों का पार्ट ऑफ़ दि स्ट्रेटेजी है और उसके शिकार होकर हम भावनाओं में बह जाते हैं । आज की घटना जिस पर बहस चल रही है कि तीन एयर-फ़ोर्स के पदाधिकारियों को उठाकर ले गए और मार दिया, आज के समाचार-पत्रों में इस घटना का जिक्र है । सत्य है बहुत सीमा तक, लेकिन जितन

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

सत्य होना चाहिए उससे कहीं परे है। यह सही था कि एयर फोर्स के तीन छोटे कर्मचारी जो मशालची होते हैं, वे बाजार में कुछ खरीद का काम करने जा रहे थे। एक हरे रंग की मैटाडोर उस तरफ से आई और उनको वे कब्जे में करके वे जाना चाहते थे। उसमें से एक भाग गया, दो को वह पकड़कर ले गए। एक नाले के किनारे गिरा और जख्मी हालत में बैरक लौटकर आया। लेकिन यह हो रहा है कि जो जिन्दा थे उनके नाम से भी यहां पर शोक प्रस्ताव पास कर दिया। हम कितने इमोशन में बह जाते हैं और हकीकत से आंख मूंद लेने का काम करते हैं। हमारे सैक्युरिटी पर्सनैल के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वे सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि आतंकवादियों के द्वारा सैक्युरिटी पर्सनैल को इतना ऐजिटेट कर दो कि वह इन्नोसेंट लोगों पर गोलियां चला दे। लेकिन हमारे बी०एस०एफ० के लोग मारे गए तब भी उन्होंने जवाबी हमले नहीं किए इसलिए कि मॉब सामने था। इसकी तीन सौ घटनाएं वहां हुई हैं। आज से दो दिन पहले तक जो मॉब वायलेंस की घटनाएं की गई हैं वह 779 हुई हैं, ऐक्सप्लोजन की 733 घटनाएं हुई हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। जो आर्म्ड पर्सनैल के ऊपर अटैक हुए हैं वह 936 हुए हैं।

वहां आंतकवादियों का निशाना यह हैं कि वे सिर्फ आर्म्ड पर्सनैल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं में सिविलियन्स और आतंकवादी मिलाकर कुल 420 लोग मारे गए हैं और आर्म्ड फ़ार्सेज के 339 मारे गए हैं। आतंकवादियों की गोलियों से मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है। उसमें ऐसा नहीं है कि हिन्दू मरा है। आतंकवादियों के गोलियों से मरने वालों में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वही ज्यादा मारे गए हैं। जो हथियार बरामद हुए हैं, उनकी कल्पना की जाए तो लगेगा कि किस हद तक वहां हथियार जमा हो गए हैं।

उपसभापति महोदया, जिस ए०के० 47 राइफ़ल की बात करते हैं वे 536 पकड़ी गई हैं। एल०एम०जी० 25, पिस्टल 517, रोकेट लांचर 146, गन 2090, माइंस को अगर जोड़ा जाए तो 817 बरामद हुए हैं। ऐक्सप्लोसिव्ज 1126 किलो बरामद हुए हैं।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : यह तो हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, आपके जोड़कर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार की पालिसी क्या है वह बताइए... **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कांत सहाय : जो ऐम्युनिशन बरामद हुए हैं वह 1 लाख 5 हजार हैं। अंदाजा लगाइए कि कितना सैक्योरिटी पर्सनल ने उनके हाथ से कब्जा किया है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह तो बार्डर से आता है, बार्डर पर क्यों नहीं रोकते वहां रोकिए।

श्री सुबोध कांत सहाय : वह टा टा करके, बाय बाय करके सरहद के पास भेजते रहते हैं। उस दिन की क्या घटना थी। उस दिन को याद करो कि एक पैराट्रूप की हत्या की गई... **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : एक घटना दिखाओ पहले की। पहले टूरिस्ट फ्लो क्या था, बताइए और इंडियन एयरलाइंस की आक्यूपेंसी क्या थी? टूरिस्ट का इनफ्लो क्या था, यह बताइए। इसका बैरोमीटर वह है **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कांत सहाय : अगर यह हालत है तो इस हालत की कल्पना करके आप समझ सकते हैं। अभी जैसा माहौल है और जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि सर्दी के बाद जब बर्फ़ खत्म होगी, रास्ते खुलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा वहां बार्डर पर मुजाहिदीन खड़े हैं। यह सही है जे०के०एल०एफ़० और

मुजाहिदीन दोनों के काम में फ़र्क है। वे दोनों अपने-अपने दिमाग से लड़ाई लड़ते हैं। मुजाहिदीन आज वहां साम्प्रदायिकता की भावना फैलाना चाहते हैं वह चाहते हैं कि किसी तरह से कश्मीर के लोगों की भलाई न हो। यह चाहते हैं कि कश्मीर में इस तरह से साम्प्रदायिकता की भावना फैलाई जाए कि पूरी सरकार वहां के विकास के काम से अलग हट कर इसी में उलझी रहे। मैं कहना चाहता हूं कि अत्याचार के बाद सरकार ने फ़ैसला लिया है कि वहां पर एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी जायेगी। कोई भी घटना होगी तो उस घटना के खिलाफ़ बात स्क्रीनिंग कमेटी में आयेगी। उस कमेटी में कमिश्नर होंगे, उसमें डी०आई०जी० होंगे, उसमें डी०सी०, एस०पी० होंगे, हर एक आदमी को वहां अपनी बात कहने का अधिकार होगा। यही नहीं वहां पर जो आंदोलन चला रहे हैं कर्मचारी लोग उनका भी एक प्रतिनिधि उसमें होगा। आपको बताते हुए खुशी जाहिर कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जो तीन तारीख से प्रस्तावित हड़ताल होनी थी वह हड़ताल उन्होंने विदड्रा कर ली। वह 3 से लेकर 5 तक होनी थी। सरकार के साथ वार्ता की गयी। जिन कर्मचारियों के बारे में कहा जाता था कि वे यह बात यू०एन०ओ० में उठाना चाहते हैं आज उन्हीं कर्मचारियों ने सरकार के साथ वार्ता करके अपना एक प्रतिनिधि स्क्रीनिंग कमेटी में रखा है। ट्रीब्यूनल की हम जो बात करते हैं उसी तरह की स्क्रीनिंग कमेटी सरकार ने बनाने का फ़ैसला लिया है। यही नहीं जहां हमने एक तरफ़ सरकारी कर्मचारियों की बात को सुनने का फ़ैसला लिया है वहां दूसरी तरफ़ उनके साथ सख्ती से कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैं उसका जबाब दे रहा हूं जो यह कह रहे थे कि उनके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई करते। हमने 113 लोगों को बरखास्त किया था और उस बरखास्तगी में 39 लोग पुलिस के थे। बरखास्तगी के बाद हमने उनसे कहा है कि अगर वह अपील करना चाहते हैं तो उनकी सुनवाई की जायेगी। जो 113 को बर्खास्त किया है उनकी भी सुनवाई की जायेगी। उनको पूरी तरह से जनतांत्रिक अधिकार होगा कि वह अपनी बात कहें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं यह कहा जा रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनको उन जगहों से हटाया जा रहा है। हम हटा रहे हैं इसीलिये कि जहां पर आतंकवादी गिरफ्तार हैं, जेल में रखा गया है अगर उन्हीं के बीच में उन लोगों को रख देंगे जो सुरक्षा व्यवस्था या शांति व्यवस्था के लिए गिरफ्तार किये गये हैं तो उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे लोगों को हटा कर दूसरी जेलों में रखा जा रहा है। जहां यह कहा जा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने जिस छात्र को गिरफ्तार किया था और जोधपुर जेल में रखा था उसकी आज परीक्षा होने वाली थी। उसका नाम है जमीर अहमद कादिर उसने हमसे कहा कि मैं परीक्षा देना चाहता हूं श्रीनगर में। हमने उसको स्पेशल प्लेन से परीक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था की इससे सरकार की नीयत और नीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह बात मैं ऑन रिकार्ड कहना चाहता हूं अहलुवालिया जी, अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक कर सकते हैं। वहां पर सरकार ने एक तरफ सख्ती से काम किया है... **(व्यवधान)**... आप नाम जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया उसका नाम है जमीर अहमद कादिर। जोधपुर जेल से परीक्षा देने श्रीनगर आज गया है स्पेशल प्लेन से। वह आज एक्जामिनेशन दे रहा है। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : तिहाड़ में रखा गया था वहां से... **(व्यवधान)**...

श्री सुबोध कान्त सहाय : तिहाड़ में नहीं रखा गया जोधपुर में रखा गया था। बनारस में भी रखा गया है ऐसे लोगों को। **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उनके साथ जिनकी रोज मुलाकात होती है व कौन हैं यह बतायें? **(व्यवधान)**

श्री सुबोध कान्त सहाय : यही नहीं हमने जितने लोगों को पकड़ा था

[श्री सुबोध कान्त सहाय]

गिरफ्तार किया था...। उसमें 481 लोगों का अगर इन्नोसेन्ट जाना गया, उनके प्रति कोई अपराध नहीं था तो उनको छोड़ने का काम किया गया। हम एक तरफ शांति और व्यवस्था के लिए किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको छोड़ने का काम भी कर रहे हैं। यही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सारी चीजों के साथ लोग कहते हैं कि हमारी नीति क्या है, नियत क्या है हमारी नियत साफ है। काश्मीर हमारे देश का अंग है। उसमें पूरी तरह से हम कानून और व्यवस्था को स्थिति बनाएंगे, वहां पर आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे, लोगों के दिलों और दिमाग में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे अमन और चैन रखा जा सके। टूरिस्टस को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आपने उसको सड़ा दिया था। काश्मीर में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि फिर टूरिस्ट वहां आने लगेंगे। वहां हम हिंसा को खत्म करके शांति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। वहां के कुछ लोगों के दिल और दिमाग में जो आजाद काश्मीर का सपना था वह सपना उनका खत्म हो रहा है। वे हकीकत को समझने लगे हैं। सरकार ने जो पिछला साढ़े पांच करोड़ का काश्मीर का बजट था, आज वह एक सौ करोड़ ज्यादा कर दिया है। वह साढ़े छः करोड़ कर दिया है। पहले साढ़े छः करोड़ का काश्मीर का बजट नहीं था। वहां से एक लाख टन सेब सरकार खरीदने जा रही है जिसके बारे में आप कहते थे कि उनके रोजगार का क्या होगा। केसर और सेब सरकार खरीद रही है। करीब 40 करोड़ से ऊपर का सेब जहाजों से लाया जाएगा और देश के चारों तरफ बेचा जाएगा। जिस सेब की कीमत 3 रु० या साढ़े तीन रुपये होती थी उसको सरकार साढ़े पांच रुपए में खरीद रही है ताकि काश्मीर को आर्थिक रूप से टूटने नहीं दिया जाएगा। हिन्दू या मुसलमान का सवाल नहीं है, काश्मीरियत इस देश की सबसे बड़ी मिसाल है और एकता की प्रतीक है। मैं समझता हूं कि वह काश्मीरीयत बरकरार रखी जाएगी। ...(**व्यवधान**)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : आपने अभी काश्मीर के बजट की बात कहीं, क्या आपने काश्मीर का बजट पास कर दिया है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं 1990-91 की बात कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आपने कहा कि सौ करोड़ रुपये ज्यादा दिये हैं। क्या आपने काश्मीर का बजट पास कर दिया है।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं 1990-91 की बात कह रहा हूं। इस सरकार के आने के बाद जो रुपया दिया गया है उसकी बात कह रहा हूं। जो पैसा दिया गया है उसकी बात कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह तो आपने सेक्योरिटी को दिया है ...(**व्यवधान**)

उपसभापति : फाइनेन्स मिनिस्टर यहां पर बैठे हुये हैं वे जवाब दे देंगे। आप बैठ जाइये।

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं एनुअल प्लान की बात कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वहां पर सब अस्पताल बंद है, दफ्तर बंद हैं...(**व्यवधान**)।

श्री सुबोध कान्त सहाय : वहां पर जो ज०के० इंडस्ट्री थी जिसमें सीरिज आफ एन्सीलरी इंडस्ट्रीज चलती थी उसको हम फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। 120 करोड़ की कलर ट्यूब की जो प्रोजेक्ट थी उसका सरकार ने क्लीयर किया है। वह वहां पर इस्टेब्लिश किया जाएगा...(**व्यवधान**) वहां पर एच०एम०टी० का कारखाना चल रहा है और सीमेन्ट का कारखाना चल रहा है। 220 के०वी० की लाइन बनाई जा रही है। ऊड़ी की हाइड्रल प्राजेक्ट 11 सौ करोड़ की बनाई जा रही है ये सारी विकास योजनायें चलाई जा रही हैं...(**व्यवधान**)।

श्री गुलाम नबी आजाद (महाराष्ट्र) : ऊड़ी की यात्रा को तो वे वाइन्ड अप करके स्वीडन भी वापस चले गये हैं ...(**व्यवधान**) ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : उसके लिये 11 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है...(**व्यवधान**)।

श्री गुलाम नबी आजाद : वे तो स्वीडन भी चले गये हैं...(**व्यवधान**)।

4.00 P.M.

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं एकदम नई खबर दे रहा हूं आपको ।.... (**व्यवधान**)...

SHRI V. NARAYANASAMY : About the revival of the Assembly, the Minister of Home Affairs gave an assurance in the House. (*Interruptions*). We want to know what the State Minister wants to say about it. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN : Order

श्री सुबोध कांत सहाय : उपसभापति महोदया,...

उपसभापति : आप खत्म करिये । मेरे पास बहुत लंबा बिजनेस है ।

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट में 15 करोड़ रुपये उनको दिये गये थे जिससे कि उनका रोजगार चले। सरकार 5 सौ करोड़ रुपये का सामान खरीदकर दिल्ली में एक्ज़ीबिशन लगा रही है जिससे कैश मनी उनको सस्टेन्ड किया जा सके। इसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने कहा कि पोलिटिकल प्रोसेस क्या किया गया है। हमने इसका जवाब भी दिया है कि एक आल पार्टी कांफ्रेंस, आल पार्टी डेलीगेशन जम्मू और कश्मीर गया था और उसके साथ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वह जो एक आल पार्टी पैनल बनाया था ...(**व्यवधान**)..!

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदया, वह पैनल बनाया था श्री जार्ज फ़र्नांडीज ने, जब उन्हें इंजार्ज बनाया गया था । जब श्री जार्ज फ़र्नांडीज हट गये तो वह पैनल भी हटा दिया गया । लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है...(**व्यवधान**)...ये सारे काम करने के बाद आपने कहा है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते । आपने बड़ा राइटली कहा । मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री...(**व्यवधान**)...मैं कहना चाहता हूं कि अगर आवश्यक हुआ तो प्रधानमंत्री भी जम्मू और कश्मीर जायेंगे जैसे कि देश के कोने कोने में जा रहे हैं वैसे ही जम्मू और कश्मीर में भी जायेंगे और वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सवाल आर्मी पर्सोनल, सेक्युरिटी पर्सोनल के बारे में किये गये, उनपर जो हमले हो रहे हैं, इस देश के नागरिक होने के नाते, वे कितनी बुरी हालत में वहां ड्यूटी दे रहे हैं, महीनों नहीं, सालों से उन्हें किसी छत के नीचे खड़े होने की भी जगह नहीं दी जा रही है और वे आतंकवादियों का पहला टारगेट बने हुए हैं, पैरा-मिलेट्री फ़ोर्सेज । ऐसी हालत में अगर हम उन मरने वालों के परिवारों के साथ अपनी भावना नहीं जोड़ सकते तो कम से कम उनके खिलाफ़ कहकर उनका मखौल न करें । लेकिन अगर कोई भी एक्सेसेज होती है तो मैं कहना चाहता हूं कि...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप गलत बात कह रहे हैं । पैरा-मिलेट्री फ़ोर्सेज के खिलाफ़ कोई बात नहीं कही गई है । जो चार्ज हमने लगाये हैं ...(व्यवधान)...आपने स्वीकार किये हैं । आपने खुद ही कहा है कि उनके अगेंस्ट में...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : मंत्री जी, आप अपनी बात खत्म कीजिये ।

I have got amendments also.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Madam, there is a very important point.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No. You cannot ask half-way through. I am not permitting. Please take your seat. (*Interruption*). I am not permitting. Let him finish his speech. (*Interruptions*). We have had enough discussion of six hours.

SHRI V. NARAYANASAMY : It is in th interest of the country (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is only in the interest of the country I am allowing him to speak.

श्री सुबोधकांत सहाय : उपसभापति महोदया, इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में हमने जो पार्लियामेंट के सेशन में न होने के चलते वहां पर आर्टिकल 36 इन रिलेशंस टु जम्मू एंड कश्मीर बिल दिया है और वहां के फ़ोर्सेज को विशेष अधिकार देने की बात कही है वह इसलिये कि इस सर्दी के बाद जो नई स्ट्रटजी के साथ पाकिस्तान की साजिश है और जो आतंकवादियों की साजिश है उसका मुकाबल इस देश की पैरा-मिलेट्री फ़ोर्सेज और आर्मी कर सके और उनके साथ स्वाभिमान से लड़ सके और कश्मीर में अमन चैन बरकरार कर सकें ताकि वहां पर जनतांत्रिक पद्धति की शुरुआत की जा सके ।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I want to make a personal explanation because the hon. Minister has mentioned my name.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What is the personal explanation about?

SHRI GHULAM NABI AZAD : While speaking, the hon Minister has said that I have alleged that as many as 100 people were involved in raping and other things. He has said their number is much less. So, I would like to just quote the Director General of Police, Mr,J.N. Saxena.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I won't allow you a long time to speak.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am just quoting him.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot quote for a long time. You just give it to me or you just say how many people there are.

SHRI GHULAM NABI AZAD : The Director General of Police has said that 32 cases been registered against the para military forces.

SHRI SUBODH KANT SAHAY : I have said like this,

SHRI GHULAM NABI AZAD : But only in one of the cases which has been investigated so far, 12 para—military Officers have been put under suspensn. When in one case 12 people have been suspended, it means in 32 cases 384 people have been suspended ...(*Interruption*)... मुझे अफसोस है कि आज सरदार पटेल की आत्मा को बड़ा धक्का पहुंचा होगा It is most unsatisfactory and most irrelevant: ...(*Interruption*) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats. I said I have got a lot of amend' ments and we have to finish this Bill.

SHRI S. B. CHAVAN Maharashtra : Madam, I have to remind you that the Deputy Chairman was pleased to state that the Finance Minister would be sitting here and he would be able to explain the financial position about the statement that the Minister was making. He said something about the finances and you were pleased to

state that the Finance Minister would be able to clarify the whole position.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think the Minister has cleared it, he did not need the help or guidance of the Finance Minister. He did not need it. If he needed it, I would have asked the Finance Minister to help. I shall first put the amendment moved by ...

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : सरदार पटेल के बारे में जो आजाद साहब ने फ़रमाया उसके बारे में भी आप कुछ फ़रमायें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall first put the amendments. ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : रिजोल्यूशंस पर हमारे अथेडमेंटस हैं । जब मूव किया था तो कहा गया था कि जब अमेंडमेंट आयेगा तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Let me first put it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Madam,....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Who promised you?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : The Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: O.K. I will abide by it. I shall first put to vote the amendments moved by Shri Subramanian Swamy and Shri Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब मूव किया गया था चेयर ने कह दिया था बाद में बोलिएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: you should have spoken at the time when you had moved the amendment.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उस वक्त कहा गया था कि बाद में बोलिएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN ; Then you ought to have spoken at that time This is not the time to speak on it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Yes, certainly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you remember who has promised?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : I do not remember.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Who was in the Chair? I think it is absolutely a wrong procedure (*Interreputions*) माथुर साहब एक मिनट बैठिए । आप इस हाउस के बहुत सीनियर मेम्बर हैं आपको मालुम होना चाहिए कि जब आप मूव करते हैं तब आपको बोलने का अधिकार होता है. वोटिंग के टाइम पर नहीं होता है ।

I will allow you in the third reading, not now. I cannot allow you now. I will allow you in the third reading. I cannot commit another mistake.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : It is not my mistake.

THE DEPUTY CHAIRMAN : If some mistake was done, I am not going to repeat it .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप गलत कह रही हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Not yours, not mine. If a Vice-Chairman made a mistake, I am not going to continue it.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh) : He requested us to speak afterwards.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I will allow you in the third reading

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : In the third readin° everybody will be allowed.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, not everybody will be allowed. It is a discretionary power. I will allow you in the third reading. I cannot allow you now...(*Interruptions*) Please don't argue.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : This is not an amendment to the Bill. It is an amendment to the Resolution. Don't be so strict.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Don't argue. Let me find out who was in the Chair and who made such a mistake.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : I do not know. I do not remember. It is for you to see the record.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Speak for two minutes only. But this is not going to be the procedure. It is not going to be a convention. I am only allowing you as a special case.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उस समय कहा था कि नहीं, आप मूव करिये बाद में बोलिएगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am not going to make it a convention. Mr. Subramanian Swamy, you please speak.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : I thank you, Madam Deputy Chairman, for the special consideration. My amendment calls for holding of elections in the state before the end of October. First of all it will be entirely wrong and a fraud on the Constitution is Presidents rule in Kashmir is revived. It will be much better if we hold elections. This Government is running away from elections on every front. In Punjab, we don't know what kind of fraud was there also. In Punjab although Lok Sabha elections took place, they have not been able to hold elections to the Assembly and I am told they are again coming back to beg the House for extending President's rule. The same thing in Assam, the same thing in Kashmir. And this is creating a very bad impression. Only an elected Assembly can maintain human rights in Kashmir. And this Government, taken in totality along with the reservation issue, is taking the country to balkanisation and that is why I am pressing my amendment.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, मेरा संशोधन बिल्कुल सुब्रह्मण्यम स्वामी के विरोध में है और मैं उठा भी इसलिए था ।... (व्यवधान)

मेरा आग्रह है कि कश्मीर में आज कदापि चुनाव नहीं होना चाहिए और, इसके साथ ही किसी प्रकार का प्रश्न चाहे वह संवैधानिक भी हो वहां कि जो मत असेम्बली हैं, उसको जीवित किये जाने का प्रश्न नहीं होना चाहिए।

गवर्नर की रिपोर्ट सामने है । उसमें साफ़ कहा गया है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि चुनाव हो सके। इधर से भी वही कहा गया है, और उधर से भी ऐसा ही कहा गया है । अब दोनों तरफ़ से कहा गया है कि आज हालात बहुत खराब हैं और मेरे शब्दों में तो हालात विद्रोह के हैं। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि जब वह आरोप लगाते हैं पैरा- मिलिटरी फ़ोर्सेज पर या जो हमारी सेना के अन्य लोग जो वहां पर हैं— थोड़ा सोचें—समझें अफ़सोस है कि वहां पर एक विद्रोह की स्थिति है । विद्रोह में यह कभी देखा नहीं जाता कि आपको एक या दो गोली चलानी है या कितनी चलानी है । मेरे कहने का मतलब यहां नहीं है कि आंखें मूद कर गोलियां चलाइये। सच्चाई है कि वहां विद्रोह है । मैं मंत्री महोदय से एक बात पर सहमत नहीं हूं— उन्होंने कहा है कि इस सरकार के पहले बड़ा अच्छा अमन चैन था, बड़ा अच्छा

वातावरण था । तो क्या सिर्फ हालात अब बिगड़े हैं ? आपके आने के बाद या इनके आने के बाद ? आपके आने के बाद बिगड़े होंगे । लेकिन इनके आने से पहले और ज्यादा बिगड़े हुए थे तथा अधिक बिगड़ते चले गए ।

सन 1947 से लेकर अभी तक की कहानियां अगर सुनाऊं तो समय लगेगा म केवल नमूने के लिए एक बात कहना चाहता हूं—एक शेर जो सदन में पढ़ा गया है, उसी को दोहराता हूं । वह दिखाता है कि क्या हालत है वहां के लोगों की और क्या ज़हनीयत है वहां के लोगों की । पूरा शेर शायद गलत लिखा गया है रेकर्ड में—सलारिया साहिब ने पढ़ा था ।

बन जाए जुल्मों जहालत ने बुरा हाल किया,
बन के निकराज हमें बेपरेमाल किया,

अगला शेर है—

तोड़ उस दस्ते जफा कश को या रब,
जिसने रूहे आजादी कश्मीर को पामाल किया ।

इसी सदन के अंदर यह बात कही जाती है कि कश्मीर की आजादी को जिसने पामाल किया, उसके दस्त को तोड़ दो सके हाथ को तोड़ दो । कश्मीर घाटी के अंदर यह बात गूंज रही ।

मैंने उस दिन जानबूझकर एतराज नहीं किया था कि जो सलारिया साहब ने यह शेर पढ़ा था कि उस दस्ते को तोड़ दो, जिसने रूहे आजादी को पामाल किया है । हां अलग आजादी के लिए बात की जा रही है, वहां पर चुनाव करायेंगे आप ? जहां पर हजारों लोग आज गद्दारी पर उतरे हैं, वहां पर चुनाव करायेंगे आप ? क्या चुनाव कराने के बाद आप चाहते हैं कि वहां की असेम्बली के अंदर बैठे हुए लोग यह कह दें कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जा सकता

अगर कानून और कायदा देखना है, तो कश्मीर का जो कंस्टीट्यूशन है उसे भी देख लीजिए, कश्मीर का कंस्टीट्यूशन स्वयं कहता है कि कोई इस प्रकार का बिल, कोई इस प्रकार का सवाल जोकि यह सवाल पैदा करे कि हिंदुस्तान के साथ में तालुकात क्या हों। वह असेम्बली में नहीं उठाया जा सकता ।

जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनसे पूछता हूं कि क्या आज लोकतंत्र के बहाने गद्दारी की जाएगी । मेरा आपके माध्यम से इस सदन से तथा सारे देश से कहना है कि जिस समय तक टेरोरिस्ट एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाती, जो बाहरी ताकतों के सहायक टेरोरिस्ट वहां हैं, उनमें से एक एक आदमी को चुन-चुन कर बाहर नहीं किया जाता, उस वक्त तक चुनाव कराना बड़ी गलती होगी ।

क्योंकि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी जी का भी एक प्रस्ताव है, इस पर वोट करा लीजिए उसके बाद मैं अपने संशोधन पर वोट कातिय करुंगा ।

उपसभापति : आपका तो उनके साथ ही है ।

They are shown together...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Why together? How can they be together?

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : After hearing Jagdish Mathur I think even in Ayodhya there can be no elections.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Both the amendments have been clubbed together. If they are diametrically opposite, I do not know why the Secretariat put them together. Anyhow, I will put them to vote separately.

I shall now put Shri Subramanian Swamy's amendment to vote.

The question is: That after the said Resolution, the follwing be added, namely :—

"That the House further resolves that the elections to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly be held before November 1,1990."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, I shall put the amendment of Shri Jagdish Prasad Mathur to vote.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Madam, having got my friend, Shri Subramanian Swamy's amendment defeated, I withdraw my amendment. It has served my objective

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I shall put the Resolution moved by the Minister to vote.

The question is :

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 18th July 1990, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the Resolution moved by Mr. S. S. Ahluwalia of vote.

The question is:

That this House disapproves of the Armed Forces (Jammu and Kashmir) special Powers Ordinance 1990 (No.3 of 1990), promulgated by the President of India on the 5th July, 1990.

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put to vote the motion moved by the Minister.

The question is :

That the Bill to enable certain, special powers to be conferred upon members of the armed forces in the disturbed areas in the state of Jammu & Kashmir as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 3 Power to declare areas to be distu bed areas

SHRI S. S. AHLUWALIA : Madam, I beg to move:

(12) That at page 2, lines 5 and 19, the words "or the Central Government" appearing at two places be *deleted.*

(13) That at page 2, line 6, *for* the words "Such a" the words "extremely" be *substituted.*

(14) That at page 2, lines 8—9 the words "overawing the Government as by law established or" be *deleted.*

The questions were proposed.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैडम !

THE DEPUTY CHAIRMAN : No. You have already spoken. Do not argue at this stage. Please take your seat. You have spoken enough.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैंने अमेंडमेंट पर नहीं बोला है

THE DEPUTY CHAIRMAN : You see, you have spoken enough, Everytime I have allowed people to speak on the amendments. But you have spoken enough already and further, we have got a lot of other business also..(*Interruptions*)....

SHRI S. S. AHLUWALIA : You are creating a new convention, Madam...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is no new convention. Probably you may be a new Member. You see, you don't have to speak on every amendment that you move. Please take your seat.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Thank you very much, Madam, You are creating a new convention ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put the amendments moved by Shri S.S. Ahluwalia to vote.

The amendments, Nos. 12, 13 and 14 *were negative.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : I shall now put clause 3 to vote.

The question is :

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause 4- *Special powers of the Armed Forces.*

SHRI S.S AHLUWALIA : Madam, I beg to move :

(1) That at page 2, line 25, *for* the words "commissioned officer, warrant officer, non-commissioned officer" the words "officer not below the rank of Captain" be *substituted.*

(2) That at page 2,—

(i) lines 29-30, *for* the words "such due warning as he may consider necessary" the words "due and proper warning" be *substitited.*

(ii) lines 31.32, *for* the words "acting in contravention of any law or order for the time being in force" the words "committing a terrorist act" be *substituted.*

(iii) lines 34,35, the words" of things capable of being used as weapons or" be *substituted.*

(3) That at page 2, lines 40-41, the words "or absconders wanted for any offence" be *deleted.*

(4) That at page 3, *after* line 3, the following proviso be *inserted,* namely :

"Provided that nothing shall be done with the sole intention of harassing the residents of the premises and if harassement is proved, proper action against such officer or person shall be taken under the Armed Forces law for the time being in force."

(5) That at page 3, lines 6 and 8, for the words "noncognizable offence" appearing at two places, the words "terrorist act" respectively be *substituted.*

(15) That at page 2, line 31, *for* word "death" the words "grievous hurt" be *substituted.*

(16) That at page 2, line 42, the words "without warrant"be *deleted.*

(17) That at page 2, line 46, the words "without" warrant" be *deleted.*

(18) That at page 3, line 4, *for* the words "search and seize" the words "and search" be *substituted.*

The questions were proposed

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैडम, मुझे यहां बोलने दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is not proper, Mr. Ahluwalia.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I have a right to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Having spoken on the Resolution, having replied, now you have no right to speak any more. Anyhow, I will allow you to speak only for one minute. Please speak for one minute and sit down.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैडम ये सरकार जिसने सिविल लिबर्टीज की बात की थी, यू० एन० चार्टर और ह्युमन राइट्स की बात की थी--आज वह एक ऐसा बिल ला रही है जिसमें क्लाज-4, क्लाज-5 वगैरह के तहत हमारे राईट टु लिबर्टी, राईट टू प्राईवेसी, राईट टु लाइफ एंड राईट टू बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स टू सीक रिड्रेसल इन द कोर्ट--सब कुछ हम से छीना जा रहा है। इसके विरोध में, मैंने जो एमेंडमेंट्स दी थी, रिलेवेंट थी। अगर मंत्री महोदय इस पर गौर फरमाकर संशोधन करते तो मैं समझता हूं कि नेशनल फ्रन्ट ने अपने मैनीफैस्टो में जो कुछ कहा था जनता के सामने कि वह उनके ऐसे अधिकार वापिस दिलवाएंगे, काले कानूनों को खत्म कर के--तो उसको कथनी और करनी में फर्क नहीं होता और उनकी करनी सही साबित होती। लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क हो हा है (समय की घंटी)

And I press my amendments.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I am putting the amendmets to vote.

Amendments Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 *and* 18 *were negatived.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That caluse 4 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 4 *was added to the Bill.*

Clause 5 (Power of search to include powers to break open locks, etc.)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I beg to move:

That at page 3 line 13 *for* the word person" the words "Army Officer" be *substituted.*

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 5 *was added to the Bill.*

Clause 6 *was added to the Bill.*

Clause 7 (Protection of persons acting in good faith under this Act)

SHRI S. S. AHLUWALIA: Madam, I beg to move:

That at page 3 line 26 *for* the words "any person" the words "any army officer" be *substituted.*

That at page 3 clause 7 be *deleted.*

The question was proposed.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह आलुवालिया: महोदया, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि हम आज इतिहास में फिर काले अक्षरों में लिख रहे हैं, यह सदन एक काला कानून पास कर रहा है जोकि सर्वप्रथम काला कानून के नाम से जाना जाएगा। मैं इसका विरोध करता हूं और अपना एमेंडमेंट मूव करता हूं, प्रेस करता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am putting the amendments to vote.

(*Amendments Nos.* 7 *and* 19 *were negatived.*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 7 *was added to the Bill.*

Clause 8 *was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री सुबोध कान्त सहाय : उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

यह बिल पारित किया जाए ।

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Prof. Madhu Dandavate is here. I would ask him to move his Statutory Resolution. (*Interruptions*) There was a discussion between the Leader of the House and the Leader of the Opposition and the leaders of various parties and groups. They decided that the Statutory Resolution will be taken up first and the Industrial Policy will be taken up later.

STATUTORY RESOLUTION APPROVING INCREASE IN BASIC EXCISE DUTY ON MOTOR-CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : Madam, I beg to move the following Resolution:

"That in pursuance of sub-section (2) of Section 3 of the Central Excise Tariff Act, 1985 (Act No. 5 of 1986), this House approves the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/90-Central Excise, GSR 721(E), dated the 22nd August, 1990, laid on the Table of the Rajya Sabha on 22nd August, 1990, increasing the basic excise duty leviable on motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of the persons (other than those of Heading No. 87.02) including station wagons and racing cars from 40% *ad valorem* to 50% *ad valorem* from the date of issue of the said notification."

[The Vice-Chairman (Prof. Chandresh P. Thakur) in the Chair.]

Sir, when I had made the statement before the House, many clarifications were sought. I have with me the records of the Rajya Sabha proceedings in which clarifications running into 26 pages have already been offered by me. So, it is only a technical Resolution. I request that the House may adopt it unanimously without any discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): There are two amendments, one by Shri S.S. Ahluwalia and the other by Mr. V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I move the following amendment:

That after the said Resolution, the following be added, namely:—

"Subject to the condition that Government enforces strictly the ban on use of Government vehicles on weekly holidays."

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): Sir, I move the following Resolution:

That after the said Resolution, the following be added, namely:—

"provided that this notification shall cease to have effect upon the situation in the Gulf improving and petroleum products becoming easily available for domestic consumption."

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Narayanasamy, please speak briefly and then your amendment will be put to vote. Please finish in two minutes.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I went through the Statement made by the hon. Minister and also the clarification sought by the hon. Members. The Minister has mentioned in his Statement that the curb on the use of vehicles by the Central Government offices